has just said. He has very rightly reminded the House how the Production Code Administration in America and the British Censorship are being administered. The Production Code Administration is a voluntary effort on the part of the industry itself and the self-regulation has not been found wanting in any of the matter of decency or in controlling indecent or immoral exhibition. As Shri Mahanty has rightly pointed out, we can also without any fear or doubt try this experiment in our country also.

Lastly, I want to stress that regarding the nomination of regional advisory councils, it is but proper that the State Governments are consulted. It is really sad and disappointing that the State Governments have no say in this matter. Without the consultations with the State Governments, the proper functions that are contemplated under this Bill cannot be fairly and justly fulfilled

Sir, I have done.

16 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: This debate would be resumed tomorrow. We now take up the motion regarding the fixation of higher price for sugarcane.

16·0½ hrs

MOTION *RE*. FIXATION OF HIGHER PRICE OF SUGAR-CANE

Mr. Deputy-Speaker: Shri Braj Raj Singh will initiate the debate We have got two hours for this motion. Three hon Members have given notice of this motion But there are three substitute motions also. One substitute motion stands in the name of ten hon. Members, while two other substitute motions have been given notice of by two Members and one Member respectively. Besides, I am getting a large number of names of hon Members who have expressed a desire that they would like to participate Therefore, I would request the mover to take not more than 20 minutes and the other Members not more than ten minutes each.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): You have to extend the time by at least half an hour.

Mr. Deputy-Speaker: There is a half-an-hour discussion after this motion. I am sorry.

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मै निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

> "कि गन्ने की अधिक ऊंची कीमत निर्धारित करने के प्रश्न पर जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की विधान सभाओ ने सिफारिश की है, विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद है कि इस सदन में और हमारे देश के जो सब से बड़े दो चीनी पैदा करने वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, उन राज्यों की विधान सभाओं में चीनी और गन्ने की कीमतो के विषय पर अक्सर चर्चा चलती रहती है । इस सदन में भी २२ मार्च, सन् १९५७ को एक चर्चा चली थी गन्ने की कीमत को बढ़ाने के सम्बन्ध में और उस वक्त भी सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था । सिर्फ एक बात कह दी गई थी, जिसकी सरकार बार बार रट लगाती रहती है, और वह यह दलील है कि यदि गन्ने की कीमत बढ़ा दी गई तो खाद्यान्न की पैदावार कम हो जायेगी, अगर गन्ने की कीमत बढ़ा दी गयी तो गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़ जायेगा और देश के खाद्य संकट को दूर करने में इससे कठिनाई पैदा होगी क्योंकि इस प्रकार खाद्यान्न की पैदावार कम हो जायेगी ।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा से पूर्व बिहार की विधान सभा ने सन् १९५७ में एक प्रस्ताव पास किया था, सर्व सम्मति से, जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की कि गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आने

[श्री ब्रजराज सिंह]

मन किसान को देना सरकार तय करे । २५ जुलाई, सन् १९५८ को उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्रीय सरकार से सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय सरकार गन्ने का भाव एक रुपया १२ आने मन तय कर दे । लेकिन इन दो विधान सभाओं के यह सिफारिश करने के बावजूद गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई । यह याद रहे कि ये दो राज्य सारे हिन्दुस्तान के गन्ने का ७० प्रतिशत पैदा करते हैं ।

उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त शुगरकेन बोर्ड ने भी केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की, ऐसी मेरी सूचना है, कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जानी चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पास कर दिया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना बोर्ड के सामने इसके अलावा और कोई चारा ही नही था कि वह भी सिफारिश करे केन्द्रीय सरकार से कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाये । जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है । उन विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पास किया, और इस वक्त जो कानूनी तरीके से संयुक्त गन्ना बोर्ड संगठित है, उसने भी यह सिफारिश की कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाये, और गैर सरकारी संस्थाओं जैसे हिन्द किसान पंचायत, और सोशलिस्ट पार्टी आदि दूसरी संस्थाओं ने भी यह मांग की कि किसान को उसकी उपज का उचित लाभ मिलने के लिये यह आवश्यक है कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाये, इस सब के बावजूद केन्द्रीय सरकार अपने हठ पर दृढ़ रही और कहती रही कि हम गन्ने की कीमत नही बढ़ायेंगे ।

इस संदर्भ में यह याद रखने की जरूरत है कि पिछले अधिवेशन में केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो चीनी अध्यादेश जारी किया गया था उस वक्त अध्यादेश पर बहस होते समय यह बात साफ सामने आई थी कि किस तरह यह सरकार चीनी की कीमत बढ़ाने के लिये तैयार हो जाती है और किस तरह चीनी के मिल मालिकों को नाजायज तरीके से मुनाफा कराने के लिये तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब गन्ने के उत्पादन में लगे तीस बत्तीस लाख खानदानों का सवाल आता है, उन दो करोड लोगों का सवाल आता है जो अपनी जीविका के लिये इसी काम पर निर्भर करते हैं, तो उनके गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये सरकार तैयार नहीं होती है ।

हमारे सामने टैरिफ बोर्ड ने सन् १९५० में एक रिपोर्ट पेश की थी । मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि दो विधान सभाओं की सिफारिश के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के सवाल को टैरिफ बोर्ड के सुपुर्द नही किया ताकि वह निश्चित करता कि गन्ने की उत्पादन कीमत क्या होती है और चीनी की क्या होती है । सन् १९५० की अपनी रिपोर्ट में टैरिफ बोर्ड ने कहा है कि उनके पास आकडे नही हैं जिनके द्वारा वे पता लगा सके कि गन्ने का उत्पादन व्यय क्या है । इन आकडों के अभाव में वे अन्दाजा नही लगा सकते कि १०० मन गन्ने के उत्पादन का व्यय क्या होता है । सरकार के पास वैसे बहुत से आकडे रहते है, सरकार के पास आंकड़े संग्रह करने के लिये अलग एक आंकड़ा विभाग भी है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अपना आकडा विभाग है । लेकिन जहा तक गन्ने के उत्पादन व्यय का सवाल है उसके आकड़े सरकार के पास नही जिनसे कि अन्दाजा लगाया जा सके कि गन्ने की क्या उचित कीमत दी जानी चाहिये । सरकार द्वारा सिर्फ यही दलील बार बार दी जाती है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया तो उससे अनाज की पैदावार कम हो

जायेगी । इसलिये सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है। म अभी आपको दिखाऊंगा कि सरकार की यह दलील कितनी थोथी है । गन्ने की कीमत बढ़ने या घटने से अनाज की पैदावार मे कोई फर्क नही पड़ता । अगर हम गन्ने की खेती के सम्बन्ध मे कुछ आकड़े देखें तो उसस कुछ बड़े ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आयेंगे । आप देखें कि सन् १९३५-३६ में गन्ने की खेती ४०,५४,००० एकड़ भूमि मे हुई थी, सन् १९३६-३७ में गन्ने की खेती ४५,८२,००० एकड भूमि मे हुई थी । और सन् १९५७-५८ मे ४७,८४,००० एकड़ भूमि में गन्ने की खेती की गई । तो आप देखेंगे कि सन् १९३६-३७ मे सन् १९५७-५८ तक यानी पिछले २२ साल मे गन्ने की खेती के क्षेत्र में दो लाख एकड़ की वृद्धि हुई । यह ऐसी बढ़ोतरी नही है जिससे कि अनाज की पैदावार में कोई कमी हो सकती है। यह याद रहे कि सन् १९५६-५७ में ५०,१९,००० एकड में गन्ने की खेती हुई थी और १९५७-५८ में ४७,८४,००० एकड में ही गन्ने की खेती हुई । जो इस वक्त अन्दाजा लगाया जाता है उसके अनुसार इस साल गन्ने की पैदावार और कम क्षेत्र मे होगी । तो आप देखें कि गन्ने की खेती कम क्षेत्र मे होती जा रही है । लेकिन सर-कार की ओर से बार बार यह कह दिया जाता है कि यदि हमने गन्ने की कीमत बढ़ा दी तो अनाज की पैदावार कम हो जायेगी क्योंकि लोग गन्ने की तरफ ज्यादा बढने लगेंगे । तो मेरा निवेदन है कि यह तथ्यों को छिपाने की बात है । सरकार की नीति यह रही है कि मिल मालिक को फायदा करा दिया जाये और गन्ने के उत्पादक से ऐसी बाते कह दी जायें कि गन्ने की कीमत बढ़ जाने से अनाज की फसल कम हो जायेगी । आप जरा सिंचाई के सम्बन्ध में सरकार के आकड़े देखिये । वहां पर लगभग ४० फी सदी जमीन ऐसी है, जहां सरकार सिंचाई की सुविधायें दे सकती है । बाकी साठ फी सदी जमीन पर सिंचाई की सुविधायें नहीं मिल सकती हैं । गन्ना बिना सिंचाई के नहीं हो सकता है । आज ८६ फ़ी सदी छोटे किसान हैं, जिनकी जमीनें अनार्थिक है, जिनसे कोई लाभ नही होता है । वे गन्ने की सिंचाई के लिये अपना कोई इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। अगर कल गन्ने की कीमत बढ़ जाये और किसान गन्ने की खेती को बढ़ाना भी चाहें, तो वे नही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गन्ना क्षेत्र में भी सिर्फ चालीस फ़ी सदी जमीन पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं । जब तक सिंचाई की सुविधायें नही दी जाती हैं, तब तक गन्ने की खेती नही बढ सकती है । इस स्थिति से बार बार इस तरह की बहानेबाजी करने का कोई लाभ नही कि गन्ने की खेती बढ़ाने से अनाज की फसल कम होने लगेगी । यह एक ऐसी दलील है, जो कि निराधार है, जिसमें कोई तथ्य नही है, जिसका कोई आधार नही है । तो फिर प्रश्न यह है कि सरकार क्यों नही यह चाहती कि गन्ने का उत्पादन बढे । जिस पार्टी की सरकार यहा केन्द्र में है, उसी पार्टी की सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश में है और बिहार विधान सभा ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश और विधान सभा ने बहुमत से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये हैं, तब भी सरकार नही चाहती कि गन्ने का उत्पादन बढ़े । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का खाद्य और कृषि मन्त्रालय ऐसे हाथों में है, जिसका खाद्य और कृषि से कोई सम्बन्ध नही है—जिसका सम्बन्ध तिजारत और व्यापार से तो है, लेकिन किसान और खेती से नही है । जब भी कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार के द्वारा जान मे या अनजान में ऐसा काम होता है, जिससे खेती को नुकसान होता है और व्यापार को फायदा होता है । कुछ समय पहले जब चीनी का निर्यात करने के सम्बन्ध मे जो अध्यादेश जारी किया गया था, तो मैंने उसी वक्त दिखा दिया था कि कृषि

[श्री ब्रजराज सिंह]

मंत्रालय ने जान या अनजान मे चीनी के मिल-मालिकों को चार पांच करोड़ रुपये का मुनाफ़ा दिलाया था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह दलील सही नही है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई नही जा सकती है । इस वास्ते गन्ने की कीमत सेन्टर पर १-७-० रुपये दी जाती है और मिल के दरवाजे पर १-५-० रुपये दी जाती है । अगर इस कीमत को १-१२-० कर दिया जाय, तो क्या असर पड़ेगा । आज चीनी के मिल मालिकों की तरफ से बड़ा प्रचार हो रहा है और उनकी तरफ से इस सम्बन्ध में हर पार्लियामेंट के मेम्बर के पास बड़े सुन्दर लिफाफे मे बड़े सुन्दर छपे हुये कागज भेजे जा रहे हैं, जिनमें इस आशय का प्रचार किया जाता है कि सरकार ने चीनी पर कितना अधिक टैक्स लगाया हुआ है । शायद इस पृष्ठभूमि मे ऐसा किया जा रहा है कि अगले बजट में चीनी पर एक्साइज कम कर दिया जाय । मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि चीनी पर एक्साइज को कम करने की जरूरत नहीं है और चीनी पर टैक्सो को कम किये बगैर गन्ने की कीमत १-१२-० रुपये की जा सकती है । मै जानता हू कि सरकार की ओर से कहा जायेगा कि अगर गन्ने की कीमत १-१२-०, २-०-० रुपये कर दी जायेगी, तो सरकार को चीनी के टैक्स कम करने होंगे, जिन पर कि पंचवर्षीय आयोजन की सफलता निर्भर करती है । हम नही चाहते कि चीनी के टैक्स को कम करके गन्ने के दाम बढ़ाये जाये । उस सम्बन्ध मे हम दलील के लिये आपके साथ है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि चीनी के टैक्स को कम किये बगैर गन्ने की कीमत बढाई जा सके । मैं निवेदन करना चाहता हू कि उसका एक जरिया है ।

पहले हमने देखा है कि गन्ने के उत्पादन मे क्या चीजे होती है । उनमें मे एक चीज बगास है, जिसे खोई कहते है । उसका कही कोई हिसाब नहीं है । जब चीनी के उत्पादन पर होने वाले खर्चे का हिसाब लगाया जाता है, तो उसमें खोई का कोई हिसाब नही होता है । सौ मन गन्ने में से बीस मन खोई निकलती है । उसको गन्ने की मिलों में आठ आने मन के हिसाब से बेचा जा सकता है । गन्ने की हर मिल के पास कोयले का परमिट मौजूद होता है । सरकार की तरफ से उनको कोयला दान मे दे दिया जाता है । इसके बावजूद स्थिति यह है कि चीनी की मिले चलती है खोई मे और कोयला काला बाजार में चला जाता है । लेकिन मान लीजिये कि चीनी की मिलें कोयले से चलती है, तो फिर सौ मन मे से बीस मन निकलने वाली खोई का क्या हिसाब है ? जब टैरिफ कमीशन ने इस सम्बन्ध मे हिसाब लगाया, तो उसमे खोई का कोई हिसाब नही था । मैं सरकार से पूछना चाहता हू कि खोई की कीमत का क्या हिसाब है । चीनी के मिल मालिक उसको आठ आने मन के हिसाब से बेचते हैं । अगर वे कोयले के बजाय खोई जला रहे है, तो ज्यादा कीमत पड़ेगी । जैसा कि मैंने अभी कहा, बगास आठ आने मन के हिसाब से गन्ने की मिलो को बिकती है ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : एक रुपया बारह आने मन के हिसाब से बिकती है ।

श्री ब्रजराज सिंह : मेरे मित्र कह रहे है कि वह एक रुपये बारह आने मन के हिसाब से बिकती है, लेकिन हम तो कम से कम हिसाब लगाना चाहते हैं । अगर वह आठ आने मन के हिसाब से भी गन्ना मिलो को बिके, तो १०० मन गन्ना पेरने पर दस रुपये मिलते है ।

इसके अलावा शीरा—मौलेसिज —भी निकलता है, जो कि सौ मन पेरने पर साढ़े

तीन मन के हिसाब से निकलता है । उसमें भी एक अजब बात है । उसके बारे में कहा गया है कि वह सिर्फ मिलों को जायेगा और सरकार उसको खरीद लेगी और वह कम कीमत पर खरीदती है । जो भी हो । लेकिन क्या यह सही है कि पूरा शीरा मिलों के लिये जाता है और सरकार उसको खरीदती है । मेरी सूचना है कि पूरा शीरा जाता नहीं है । मिलें उसको डेढ़ दो पया मन के हिसाब से बेच देती है । अगर उसका हिसाब लगाये, तो शीरे से भी हम सौ मन गन्ने पर दो रुपया ज्यादा पा सकते हैं ।

इसके अलावा चीनी का उत्पादन करने में प्रैस-मड—मैली—भी निकलता है । चूने के भट्टे लगाने में और ईंट के भट्टे लगाने में उसका इस्तेमाल होता है । यह मैली सौ मन में से ढाई मन निकलती है । उसमें भी हम सवा रुपया पैदा कर सकते है ।

अगर खोई, शीरा और मैली का हिसाब हम लगायें तो सौ मन गन्ने में हमको सवा तेरह रुपये मिल जाते हैं । चीनी के उत्पादन पर छः पैसे मन की जो बात की जाती है उसमें प्रैस-मड खोई और शीरे का कोई हिसाब नहीं है । इससे स्पष्ट है कि बिना कोई कीमत बढ़ाये हुये आज की हालत में तेरह नये पैसे प्रति मन के हिसाब से गन्ने की कीमत केवल इन तीन चीजों में ही बढ़ाई जा सकती है ।

इसके बाद मैं एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समय का भी ख्याल रखें ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय अगर मुझे आध घंटे से कम मिलेगा, तो मैं अपने विषय के साथ अन्याय करूंगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । तमाम उत्तर प्रदेश में इसके कारण बेचैनी फैली हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप घंटा आप लेंगे, तो बाकी सदस्यों के लिये कितना समय बचेगा ?

श्री ब्रजराज सिंह : यह तो परम्परा रही है कि मूवर को कम से कम आध घंटा मिलता है ।

जहां तक रिकवरी का सवाल है, उसके बारे में टैरिफ बोर्ड ने १९५० में कहा कि रिकवरी बढ़नी चाहिये और इसके लिये उसने कुछ सिफारिशें की और सरकार ने उन सिफारिशों को मंजूर कर लिया । रिकवरी को बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से कुछ काम भी किये गये, जैसे अच्छी नस्ल का गन्ना बोना, अच्छी खाद उपलब्ध करना और सिंचाई की सुविधायें देना, वगैरह । लेकिन उल्टा काम होता है ।

16 19 hrs

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

एक तरफ तो सरकार रिकवरी को बढ़ाने के लिये कुछ काम करती है और बड़े गर्व के साथ कहती है कि गन्ने का उत्पादन और रिकवरी बढ़ाने के लिये हमने पंच-वर्षीय योजना में इतना रुपया खर्च किया है और खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ रिकवरी घटती जा रही है—लगातार घटती जा रही है । मेरे पास इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, बिहार और हिन्दुस्तान भर के आंकड़े हैं । उत्तर प्रदेश में १९५३-५४ में सौ मन गन्ने पर ९ ८७ मन रिकवरी थी, १९५४-५५ में ९ ६६ मन १९५५-५६ में ९ ७० मन १९५६-५७ में ९ ६८ मन रिकवरी थी । यही हालत बिहार की है । उसको मैं छोड़ देता हूं । हिन्दुस्तान भर में १९५३-५४ में १० ०८ मन रिकवरी थी, १९५४-५५ में ९ ९७ मन १९५५-५६ में ९ ८३ मन, १९५६-५७ में ९ ७३ मन थी । इन आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि रिकवरी लगातार घटती जा रही है । क्या वह इसलिये घट रही है कि वाकई गन्ना अच्छा नहीं होता है ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

बात ऐसी नही है। अगर हम गुड़ की रिकवरी के आंकड़े देखें, तो पता चलेगा कि गुड़ की रिकवरी तो बढ़ रही है, जब कि चीनी की रिकवरी घट रही है । इन्ही चार सालो के आकड़ों से पता चलता है कि हिन्दुस्तान के पैमाने पर जहा १९५३–५४ में एक एकड में १.२८ टन गुड़ पैदा हुआ, वहां १९५४–५५ में १.४४ टन गुड़ पैदा हुआ । फिर १९५६–५७ में जाकर यह १.४४ टन पैदा हुआ । एक तरफ हम देखते हैं कि चीनी की रिकवरी घट रही है और उसी गन्ने से जो गुड़ बनता है उस गुड़ की रिकवरी बढ़ रही है । इससे क्या साबित होता है ? इससे यह साबित होता है कि हर मिल मे लगातार रिकवरी के जो आकडे दिये जाते हैं वे गलत दिये जाते हैं । कम से कम आधा मन चीनी प्रति सौ मन गन्ने के हिसाब से रिकवरी की चोरी की जाती है। यह भी याद रखा जाना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार को जो एक्साइज टैक्स मिलता है चीनी पर उसकी भी चोरी होती है, कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो गन्ना सेस मिलता है उसकी चोरी होती है । अगर इस आधे मन का आप हिसाब लगाये तो पता लगेगा कि हर सौ मन गन्ने पर आधा मन चीनी बढ जाती है । इसका मतलब यह हुआ कि १८ रुपये की चीनी मिल जाती है। इस चीनी पर मिल-मालिक को कोई टैक्स नही देना पडता है । यह रुपया उसकी जेब मे जाता है । इसका मतलब हुआ कि एक मन गन्ने पर उसको १८ नये पैसे मिल जाते हैं, १३ नये पैसे खोई, शीरा प्रेसमड से निकाला जा सकता है। १८ नये पैसे रिकवरी से जैसे मैंने अभी आपको बताया वह निकाला जा सकता है और १३ नये पैसे दूसरी तरह से बताये जा चुके हैं । इस तरह से ३१ नये पैसे प्रति मन गन्ना का मूल्य बिना किसी तरह की आज की जो कीमत है, उसमें कोई अव्यवस्था पैदा किये हुये बढ़ाया जा सकता है ।

आप किसान को १ रुपया ७ आना मन दे रहे हैं । हम कहते हैं कि उसको १ रुपया १२ आना मन दिया जाये । यह पांच आना फी मन बिना किसी दिक्कत के आप बढ़ा सकते हैं । इससे आज जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा । मै आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि नाजायज तरीके से जो आज मिल मालिक फायदा उठा रहे है, उनको मै हिसाब में नही ले रहा हू। यह कहा गया है कि ७० करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है । पिछले चार सालों में जो गन्ने की कम कीमत दी गई है उसका हम हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि ८० करोड़ रुपया मिल मालिक ज्यादा पैदा कर चुके हैं । ७० करोड़ तो कैपिटल है और ८० करोड़ रुपया पैदा ये लोग कर चुके हैं । लेकिन इस तरफ़ मै आज जाना नही चाहता । ७० करोड़ रुपये पर जितना मुनाफा आज वे कमा रहे हैं उनको जाने दीजिये, उस को रहने दीजिये, वह वे लोग प्यार से लेते रहें । इसके बावजूद जो दूसरी चोरी हो रही है उसको रोक कर के, उसको ठीक करके हम आज पाच आना मन गन्ने की कीमत को बढ़ा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के ।

मं साबित कर चुका हू कि सरकार की यह दलील कि अगर गन्ने की कीमत बढा दी गई तो उससे अनाज की पैदावार कम हो जायेगी, इसको भी मैं गलत मानता हूं। इससे कोई फर्क पडने वाला नही है । अगर आप पिछले बीस वर्षों के आकड़े देखें तो यह मेरी बात साबित हो जायेगी । अगर हम आज पाच आने मन गन्ने की कीमत बढ़ा दे तो न कोई टैक्सो मे फर्क पडेगा और न ही कोई दूसरा फर्क पड़ने वाला है । फिर क्या वजह है कि यह नही होता है ?

आप यह भी न भूले कि आपके पास जो मेरठ जिला है उसमें सात मिलें हैं । वहां एक मिल में भी एक मन गन्ना आज खड़ी जा रहा है । बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर इत्यादि पास के जिले जो हैं वहां पर भी

हड़ताल हो गई है। पूर्वी ज़िलों में हड़ताल होने वाली है। मैं यह नहीं कहता कि हड़ताल के डर से आप गन्ने की कीमत बढ़ा दें। हड़ताल के डर से आप यह न करें बल्कि यह आपके लिये जरूरी है कि हिन्दुस्तान के उन दो करोड़ लोगों के लिये जो गन्ने पर निर्भर करते हैं, जिनकी कि आजीविका उससे चलती है, उनके हित की बात भी आप सोचें।

आपने इस पचवर्षीय योजना मे २५ लाख टन चीनी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। साढ़े बीस लाख टन चीनी पिछले साल पैदा की गई है। इस साल पौने बीस लाख टन पैदा होगी। मै आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर यही हालत रही तो अगले साल चीनी की पैदावार में बढ़ोतरी नही होगी बल्कि उसकी पैदावार घटेगी ही। इसका अर्थ यह होगा कि आपकी पचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वह पूरा नही होगा। आज आप ५०,००० टन चीनी बाहर के मुल्को में भेजने की बात करते हैं। लेकिन मुझे भय है कि फिर पहले की तरह से यहा चीनी का अकाल न पड जाये। कही वही जमाना फिर न आ जाये जब चीनी दो रुपया सेर बिकने लग जाये। आपने १५-२० साल तक लगातार चीनी मिलो को प्रोटेक्शन दिया है। इस चीनी उद्योग ने करोड़ो और अरबो रुपया कमा लिया है और अब इन मिल मालिको की खातिर आप गन्ने के दो करोड़ लोगो के हितो को न्योछावर न करे। यह मुनासिब नही होगा। समय आ गया है जब कि सरकार इस तरह की बहाने बाजी न करे कि चूंकि मार्च में यह कीमत तय हो चुकी है, इसलिये अब इसको बदल नही सकते हैं। पार्लियामेंट सर्वसत्ता प्राप्त है, सार्वभौम है, जो चाहे कर सकती है। पहले भी यह प्रश्न यहां उठा है और कहा गया है कि एक स्टेचुटरी बाडी कायम की जाये और सरकार इसको टालती रही है। अब जो बिहार और उत्तर प्रदेश के शूगर बोर्ड हैं उन्होंने सिफारिश की है कि स्टेचुटरी बोर्ड कायम कर दिया जाये। मैं कहना चाहता हू कि भविष्य के लिये आप स्टेचुटरी बोर्ड, स्टेचुटरी बाडी कायम करे जो कि सब चीज़ को देखता रहे।

मे आपको याद दिलाना चाहता हू कि स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब ने कहा था कि अगर चीनी एक रुपया मन बढ़े तो एक आना मन गन्ने की कीमत भी बढ़नी चाहिये। आठ आना मन १६३३ में गन्ना बिकता था जब कि एक रुपये का डेढ़ सेर घी बिका करता था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको कहना पडेगा कि गन्ने की कीमत चार रुपये मन होनी चाहिये क्योंकि इस हिसाब मे आठ गुना महंगाई का सवाल है। इतनी कीमत की कोई माग नही करता है। माग तो केवल यह की जा रही है कि दो रुपये मन होना चाहिये या पौने दो रुपये मन होना चाहिये। यह कोई ज्यादा बडी माग नही है।

मे आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हू कि और भी बहुत से मसले हैं जिन पर गौर करना है। मिल मालिकों के जो काटे होते हैं वे खराब होते हैं और वे ज्यादा तोल लेते है। मेरठ में इसके बारे में एक दो मुकदमे भी चल रहे है कि काटा खराब है। एक बार मे वे सौ मन पर आठ मन के क़रीब अधिक गन्ना तोल लेते हैं। इन पर भी आपको गौर करना होगा।

अन्त मे मै इतना ही कहना चाहता हू कि गन्ने की जो कीमत है वह एक रुपया बारह आना तय कर दी जाय और अगर इस माग को नही माना गया तो गन्ना उत्पादकों को बहुत हानि होगी और उसके साथ ही साथ आपकी भी बहुत हानि होगी।

Mr Chairman: Motion moved.

"That the question regarding the fixation of a higher price of sugar-cane as recommended by the U P and Bihar State Legisla-

[Mr. Chairman]

tive Assemblies, be taken into consideration"

There are three substitute motions I want to know whether the hon Members are moving them

Shri Vajpayee (Balrampur): I want to move mine

Pandit K. C. Sharma: I beg to moe want to move my substitute motion

Shri S. M Banerjee (Kanpur). I also want to move mine

Mr. Chairman: They will be treated as moved Now the main motion as well as the three substitute motions are before the House

Pandit K. C. Sharma. I beg to move

That for the original motion, the following be substituted, namely —

"That this House, having considered the question regarding fixation of a higher price of sugarcane, as recommended by the U P and Bihar State Legislative Assemblies, is of the opinion that the price of sugarcane for this season be raised to Rs 1-12-0 per maund"

Shri Vajpayee: I beg to move

That for the original motion, the following be substituted namely —

"That this House, having considered the question regarding fixation of a higher price of sugarcane, as recommended by the U P and Bihar State Legislative Assemblies, takes note of the situation arising out of the strike by cane-growers and the closure of sugar-mills in Uttar Pradesh as a result of Government's failure to increase the cane rates, and directs that the price of sugarcane be raised to Rs 1.75 nP per maund as recommended by the Joint Sugarcane Board for U.P and Bihar"

Shri S M. Banerjee I beg to move.

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"That this House, having considered the question regarding fixation of a higher price of sugarcane, as recommended by the U P and Bihar State Legislative Assemblies, agrees to the recommendations of the U P. and Bihar Legislative Assemblies for raising the sugarcane price to Rs 1 75 nP per maund"

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) सभापति महोदय, हमारे पूर्व में एक कहावत है जिसे मैं यहा कहना चाहता हू । यह उस जमाने मे कही जाती थी जब कि मिले नही थी और इसे एक मामूली किसान भी जानता है । कहावत यह है कि जितने आने मन गन्ना उतने ही रुपये मन चीनी । यह बडी पुरानी बात है मगर ताज्जुब इस बात का है कि हमारे यहा गन्ने के दाम तो है एक रुपये पाच आने मन या २१ आने मन मगर चीनी के दाम हैं ३८ रुपये मन । ये दाम उस हालत में बढ़े हैं जब कि चीनी पहले के मुकाबले में ज्यादा पैदा होती है । यह बात उस वक्त कही जाती थी जब किसान घरो पर चीनी पैदा किया करते थे। लेकिन आज यह हालत हो गई है कि २१ आना मन गन्ना और चीनी २१ रुपया मन होने की बजाय ३८ रुपया मन है । इसके बारे में अगर सरकार से कहा जाता है कि दो विधान सभाओं ने इसके बारे मे जो प्रस्ताव पास किये है उनको मान लिया जाये क्योंकि मत्री मडल को जमानत का आदर करना चाहिये तो सरकार की तरफ से हठधर्मिता दिखाई जाती है, यह बडी चीज है । यह कहा जाता है, कि यह प्रोपेगंडा है । दो विधान सभाओ ने एक चीज को पास किया है सारी रपोर्ट मौजूद है और उनमें यही है कि गन्ने

के दाम बढ़ाये जायें लेकिन इतना होने पर भी हमारी सरकार यह कहती है कि यह गैर-मुमकिन है और ऐसा करने से मिल वालों का जो मुनाफा है वह खत्म हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि आपकी यह घोषित नीति है कि आप यहां समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जाता है तो कम से कम जो चीज किसानों पैदा करता है उसमें और जो चीज कारखानों में पैदा होती है उसमें समानता लाने की कोशिश होनी चाहिये, उनकी कीमतों में समानता होनी चाहिये। मगर होता यहां उल्टा है।

अगर आप गन्ने के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि १९४६ में पहले जब गन्ना एक रुपया चार आने मन था तो चीनी २० रुपये और १४ आने मन थी। फिर गन्ने का दाम दो रुपये मन हुआ और चीनी का दाम ३० रुपया मन, उसके बाद गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना मन हुआ और चीनी का दाम २८ रुपया ८ आना मन। लेकिन आजादी के बाद बराबर गन्ने का दाम घटता गया और चीनी का दाम बढ़ता गया। यह एक अजीब और उल्टी ही बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मिल मालिकों से केन्द्रीय सरकार का एक समझौता यह हुआ था कि वे चीनी के दाम २७ रुपये मन से अधिक नहीं लेंगे। यह समझौता उस जमाने में हुआ था जब कि गन्ने का दाम एक रुपया सात आना मन था। लेकिन आज उनका समझौता भी टूट गया है और गन्ने का दाम घटते घटते एक रुपया पांच आने मन हो गया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में किसान लोग गन्ने का उत्पादन करते हैं। शेअर क्राप के नाम पर उसके पास गन्ना ही एक ऐसी चीज है जिसे बेच कर वह अपनी सारी चीजें हासिल करता है, लगान देता है, ब्याह करता है, शादी करता है, कपड़ा बनवाता है। वही उसके पास है और आज हालत यह है कि किसान परेशान है। सरकार के नोटिस में लाने के लिये बातें कही जाती हैं जब यहां पर मांग उठती है कहा जाता है कि गन्ना सस्ता होने की वजह से मिल मालिक का मुनाफा है तो जवाब दिया जाता है कि यह पालिटिकल पार्टीज का स्टन्ट है यह पालिटिकल पार्टीज किसानों को उभारती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस कमेटियों के प्रस्ताव मौजूद हैं, यू० पी० असेम्बली के डिबेट मेरे हाथ में हैं जहां पर कांग्रेस मेम्बरों ने ही कहा है इसके बारे में, और इस सदन के कांग्रेसी सदस्य भी जानते हैं। उनकी भी इसके बारे में अपनी फीलिंग है और उनको पता है कि आज किसानों की क्या दशा है।

मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जितने आने मन गन्ना उतने ही रुपये मन चीनी होनी चाहिये, यह एक बड़ा पुराना फार्मूला है। पहले भी था और सरकार भी इसको मानती रही है। इसलिये इस फार्मूले को सामने रख कर चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहियें और गन्ने के दाम बढ़ने चाहियें क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाजिमी तौर पर यू० पी०, बिहार और पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में एक भयानक संकट पैदा हो जायेगा।

कहा जाता है कि यू० पी० और बिहार में रिकवरी कम होती है इसलिये गन्ने का दाम ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। हमारे भाई ने बतलाया कि रिकवरी से आपका क्या मतलब है। अगर आप सिर्फ चीनी को ही रिकवरी में लेते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या बात है कि खोइया का कोई हिसाब नहीं, शीरे का कोई हिसाब नहीं, मैल का कोई हिसाब नहीं। सब जानते है कि शीरे से देश में स्प्रिट बनती है, सब जानते हैं कि खोइया से कागज बनता है, सब जानते है कि जो मैल निकलता है उससे मोम और रंग बनते हैं जिसका कुल मुनाफा मिल मालिक को मिलता है लेकिन रिकवरी में उसे शुमार नहीं किया जाता। उस रिकवरी के ऊपर सरकार का कोई अधिकार

[श्री सरजू पांडे]

नहीं, उसके लिये कोई पूछने वाला नही है। पिछले दिनो १६ मन गन्ने पर एक मन चीनी की रिकवरी की स्वीकृति सरकार देती थी अब वह २७ मन गन्ने पर एक मन चीनी की रिकवरी की स्वीकृति देती है। रिकवरी की सारी जिम्मेदारी किसानो पर डाल दी गई है। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर की थी उसकी रिपोर्ट को देखिये। बहुत से डिटेल्स उसमे दिये हुये हैं। उनका कहना है कि अगर गन्ने का सीजन ६० दिन का हो और रिकवरी का परसेन्टेज ८ ५ परसेन्ट हो तो गन्ने का दाम ३८ २४ रु० होना चाहिये। इसी तरह से उन्होने कहा है कि अगर गन्ने का सीजन ६० दिन का हो और रिकवरी ८ ५ परसेन्ट हो तो गन्ने का दाम ३६ ६० रु० पर टन होना चाहिये। इसी तरह मे अगर सीजन १२० या १६० दिन का हो और रिकवरी ९ या १० परसेन्ट हो तो गन्ने का दाम ५० रु० २६ नये पैसे पर टन तक होना चाहिये। हमारी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है, लेकिन उसको भी सरकार नही मानती। वह न तो हमारी ही बात मानती है और न अपनी एक्सपर्ट कमेटी की जो कि उसकी खुद की बनाई हुई कमेटी है।

जहा तक रिकवरी का सवाल है, उस की पूरी जिम्मेदारी किसानो पर डाली जाती है। मैं कहना चाहता हू कि उसकी जिम्मेदारी मिल मालिको पर भी हो सकती है, फर्ज कीजिये कि मिल वाले खराब मशीने लगाते हैं। तो उससे न तो उतना रस ही निकल सकेगा और न उतनी चीनी ही निकल सकेगी। मशीन न अच्छी होने पर भी सारी की सारी जिम्मेदारी किसानो के सिर पर थोप दी जाय कि तुम्हारा गन्ना अच्छा नही है और हम दाम नहीं बढायेंगे, यह ठीक नही है। मै कहना चाहता हू कि किसानो के साथ मिल वाले की मशीन को भी देखना चाहिये और रिकवरी की जिम्मेदारी मिल-ओनर्स पर भी है। यह नही होना चाहिये कि वह मशीनें अच्छी न लगावे तो गन्ने से जितना रस निकलना चाहिये नहीं निकलेगा। हमारी सरकार को यह नही कहना चाहिये कि सारी जिम्मेदारी किसानो पर है और चूकि रिकवरी अच्छी नही है, इसलिये हम गन्ने का दाम नही बढायेंगे।

आज अक्सर मिल वालो के लिये यह कहा जाता है कि उनके ऊपर ड्यूटीज है, टैक्स इतना ज्यादा है कि वह सिर्फ ६ नये पैसे पर ही काम कर रहे हैं और अगर गन्ने का दाम बढाया गया तो मिलें बन्द हो जायेंगी। यू० पी० असेम्बली के अन्दर मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि गन्ने के दाम अगर हम बढायेंगे तो मिल ओनर्स सूबे को छोड कर भाग जायेंगे। उनको भागना नही है। सरकार का यह कहना है कि अगर हम गन्ने का दाम बढायेंगे और चीनी का नही बढायेंगे तो वह जरूर भाग जायेंगे। दलीले बहुत दी जा सकती हैं लेकिन हकीकत यह है कि मिल वाला को आज भी इतना मुनाफा है कि अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो एक मन गन्ने की पेराई मे जितनी लागत उसकी होती है उसको निकाल देने के बाद उसका जो भी खर्च होता है उसको दे देने के बाद भी ११ आने फी मन के हिसाब में पैसा मिल वालो की जेब में जाता है। एक एकड मे लगभग ५०० मन गन्ना होता है तो इस तरह एक किसान को एक एकड पर करीब ३०० रु० मिल वालो को दे देना पडता है। लेकिन सरकार इसको तरफ नही देखती। इसलिये मैं कहता हू कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सभी इस बात को सोचे कि दरअसल गन्ने का दाम बढ़ाने मे मिल वालो पर क्या असर पड सकता है। एक तर्क दिया जाता है कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया गया तो सारे के सारे किसान गन्ने की खेती करने लगेंगे। लेकिन आकडे क्या कहते हैं। पिछले दिनो से गन्ने की खेती मे ज्यादा लोग नही जा रहे हैं। अगर आप आकडो को ले तो

पता चलेगा कि १९३५–३६ में २५ लाख एकड़ में गन्ना बोया जाता था वह बढ़ कर १९५८–५९ में ३० लाख एकड़ हो गया है। और अनाजों की बढ़ती के मुकाबले में यह कोई बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। इसलिये इसका सवाल नहीं उठता कि किसान अन्य खाद्य पदार्थों की जगह गन्ना बोने लगेंगे। अगर हम कितना गन्नापेरा गया इस को देखें तो पता चलेगा कि सन् १९५६–५७ में ३० करोड़ मन गन्ना मिलों में पेरा गया, लेकिन आगे चल कर सन् १९५७–५८ में कम हो कर २७ करोड़ मन हो गया। इसलिये यह तर्क नहीं माना जा सकता।

दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर हम गन्ने का दाम बढ़ायेंगे तो चीनी महंगी हो जायेगी और हमको बाहर से जो फारेन एक्सचेन्ज चीनी पर मिलता है वह नहीं मिल सकेगा। मैं कहता हूं कि आप जो चीनी बाहर भेज रहे हैं उसका तो एक फिक्स्ड कोटा है, यह तो है नहीं कि वह अनलिमिटेड है कि जितनी चीनी चाहें बाहर भेज दें और उस पर जितना चाहे रुपया लें। इसलिये गन्ने का दाम बढने के कारण चीनी का दाम बढ़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। फिर ऐसा भी कोई कानून नहीं है कि गन्ने का दाम बढ़ने से चीनी का भी दाम बढ़ जाय। मैं तो कहता हूं कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिये और चीनी का दाम नहीं बढ़ना चाहिये। आज चीनी से जितना भी लाभ हो रहा है वह मिल वालो को हो रहा है। आप अपने कामों से मिल वालों की जेबें भर रहे हैं और किसानों की जेबें काट रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज जनमत का आदर कीजिये और देखिये कि दरअस्ल हम कहां खड़े हैं। मैं कहता हूं कि अगर यह सोचा जाय कि जो कुछ किसान कहते हैं वह गलत है, तो आप गन्ने के क्षेत्रों में दौरा कर लीजिये, वहां देख लीजिये कि किसानों की क्या हालत है। आप बम्बई में देख लीजिये, मद्रास में देख लीजिये, वहां पर किसानों को कितना दिया जा रहा है। हमारे यहां तो यह हालत है कि मिल मालिक जितना भी मुनाफा ले ले वह ठीक है। चीनी की कीमत की बात तो मिल वाला करता है लेकिन उसको जो और मुनाफा होता है, उसकी ओर कोई नहीं देखता। आज उसका खोइया १ रु० १२ आना मन बिकता है, शीरा बिकता है, मैल बिकता है, वह लोग हर चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पर भी किसानों के गन्ने के दाम बढाने की बात होती है, वह तरह तरह की बातें कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप जनमत का आदर कीजिये. आज किसान भूखों मर रहा है।

आज सब से बड़ी बात तो यह है कि सरकार का कानून है कि अगर किसान अपना गन्ना मिल वालों को दे दें और उनके दाम का पेमेंट १५ दिन के अन्दर न हो तो उतने दिन के लिये उनका ७ १/२ प्रतिशत सूद मिलना चाहिये। लेकिन कोई भी किसी कारखाने में चला जाये, गोरखपुर चला जाय, देवरिया चला जाय, पचीसों करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है। उन किसानों को न रुपया दिया जाता है और न उसका सूद दिया जाता है। वे बिचारे मिलों के फाटकों पर चिल्लाते रहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये दो ही रास्ते हैं कि या तो इस सरकार को जो कानून विधान सभाओं ने पास किये हैं उनका आदर करना चाहिये, या तो उन विधान सभाओं को इस सवाल पर इस्तीफा देना चाहिये। आज दो विधान सभायें इस बारे में एक मत हैं, लेकिन फिर भी यह मंत्रिमंडल उसको सुनने के लिये तैयार नहीं है। आज किसानों की जिन्दगियां तबाह हो रही हैं, वह परेशान हैं। सारी मिलें बन्द हो रही हैं झगड़े हो रहे हैं। अगर यह सवाल ठीक से हल नहीं होता तो लाजिमी तौर पर लोगो के अन्दर असन्तोष होगा। इसलिये जो बातें हम यहां कह रहे हैं, आज जिसकी चारों ओर से मांग की जा रही है, उसका आदर करना चाहिये और गन्ने की कीमत १ रु० १२ आ० मन कर देना चाहिये क्योंकि इससे मिल मालिकों

[श्री सरजू पांडे]

की चीनी के दाम पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। अगर १ रु० १२ आ० मन भी गन्ने का दाम कर दिया जाय तो भी चीनी का दाम मुश्किल से ३०, ३२ रु० मन आता है सारी लागत को काट कर। अगर इस तरह से कर दिया जाय और गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाय तो किसानों की खुशहाली बढ़ेगी और साथ ही साथ गांवों में जो माल पैदा होता है और कारखानों में जो माल पैदा होता है उस में कुछ समानता आ जायेगी। यही समाजवाद का रास्ता हो सकता है। समाजवाद का रास्ता यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो बड़े बड़े आदमियों की जेबें भरती जायें और जो लोग परेशानी में हैं उनकी ओर ध्यान न दिया जाय। इसलिये इस प्रस्ताव को मान कर हमें जनमत का आदर करना चाहिये।

Pandit K. C. Sharma: Mr. Chairman, Sir, I feel a bit distressed to make a few observations because in the area that I have the honour to represent where I had always found stout and brave people both in the fields and in the factories or in the battlefield, in the first and the second week of October when I roamed about there I found those people selling their ornaments. I found those people selling their milch cattle. I found those people starving. I found those people naked. Their houses razed to the ground. It was a sight that I could not see. I could never dream that a man, much more a man to whom people looked for shaping their destiny should fare so badly.

We have failed. I have failed, because it is my Government. I felt a sense of humiliation how badly, how miserably we have failed. I have not the least doubt that had we worked wisely, had we worked bravely, the situation would never have occurred as I witnessed. It is a despicable spectacle. It is a thing which my mind and my heart is not going to accept that it could not have been avoided.

You have made certain commitments. The commitment that the Prime Minister made was that "in the final analysis the dominating figure in India who will decide the future of India is not you and me,—that is, not the Prime Minister or the business magnates—but the peasant of India." What is that dominating voice? The dominating voice has come to it. "A villager kills his family." Statesman page 1 runs the news in bold lines, "A peasant has reported to the police that on Monday, he axed to death his pregnant wife, three daughters and two sons. The peasant in his report said, he had lost all his paddy crop in the floods and erosion last season. There was widespread cattle disease and he lacked means to repair his homestead. He had no money to buy medicine for his ailing children"

I challenge anybody. I find from all the materials at my disposal, such an instance is found nowhere in the civilized modern world. A stout man who tills the land, who works on the land, kills his six children in desperation in a social welfare State Where is that commitment of the Prime Minister? What does it come to? Who rules the destiny of man? To my mind, it looks, it is not the benign Prime Minister, not the efficient administrative machinery, but some little Timurs who have neither the heart nor the brain, who do not understand things, who do not prove true to their tommorrow that society will take revenge not on you, but on your children. I know the facts. I do not want to state them. I am convinced that all is not well. The man—the little Timur—who rules the destiny of the toiling masses has neither the heart nor the sense of decency nor the wisdom to look into the future, his own future, let the future of the peasant remain unquestioned.

The argument would be given that area under foodgrains will diminish and the area under cash crops will increase. May I ask, what is a welfare State? Is there any country anywhere in the world where a subsistence occupation as our agriculture still exists? Ten years we have been in power. If in ten years we have not been able to transform this subsistence occupation into an industrial enterprise, I say we have not done our duty to the peasant. What do we exist on? The peasant's toil. Where is the police recruited from? The peasant's sons. Where does the military come from? Peasant's children These people who can just serve you with hot tea cups are not the men who are people's representatives They are little Timurs, they come from the land diverted from the people and their problems, to oppress and terrorise the people, to devour the people, to kill the peasants' children (*Laughter*) It is easy to laugh. It would not be easy to laugh when things take their own shape Two hundred years before, a man said to Robespierre, you are doing these things, reason calls for this. He said while man sheds his blood on the field for a new and brighter future, there comes a fool who wil stand-up, 'reason demands it' Let him know blood demands a different question It is not an easy laugh Whoever laughs shall have to pay the price as others have paid It is not an easy question. I am distressed to see because I love my leader, I have worked under him, and I have suffered to the extent to which any human being can suffer, and I see the despicable spectacle that my eyes are not prepared to tolerate

So, with these words I say that no reason, no argument, no logic, no administrative mechanism has any room whatsoever to deny to the peasant an increase in the price of sugarcane for the simple reason that it is the only way to do a little service to him, to save his life, to have his honour. I have been in the battle of freedom for kicking off the Englishman but also for a new India What did I see? At eight years of age I saw a usurer asking another venerable looking fellow: sell your children and pay my interest. This was something in my heart that forced me to do things which few human beings could suffer and bear, and still I find the same spectacle. Still, what does the poor man do? He sells his daughter. What does the poor country do? It sells its freedom. Therefore, the poor man is selling his children, not selling, is killing, and the day is not far off—if the country remains poor and the situation remains the same, you will sell the country's freedom. This is a challenge to you It is not a simple question of mathematics, it is not a question of an administrative formula, it is not a question that you yesterday passed one order, and tomorrow you cannot change These machineries and these formulae change when the situation so demands The situation so demands, and therefore, with all humility, with all the force, with all the logic, with everything that is sacred in man, I demand that the formula may be changed and a little help may be given

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : सभापति महोदय, मेरे सामने बिहार विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव है जिनमे उन्होने गन्ने की प्राइस बढाने के लिये कहा है । लेकिन मै एक बात सबमे पहले यह कहना चाहता हूं कि जो देश की आर्थिक समस्या है और खास कर किसानो की आर्थिक समस्या वह एक सगठित रूप से और एक कोरिलेटेड तरीके से तय होनी चाहिये यह नही कि किसी कमोडिटी का दाम तो हम लोग बहुत बढा दें और किसी चीज का दाम घटाते रहे ।

अब सदन् के सामने बारबार यह प्रश्न आया है कि जूट का दाम गिरता जा रहा है और उस की कीमत इतनी गिर गई कि जितनी लागत मे किसान लोग उसको पैदा करते है, उससे भी कम दाम उन्हे जूट का मिल रहा है। दूसरी तरफ धान की फसल इस साल इतनी अच्छी हुई कि धान और चावल

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

का दाम गिरता जा रहा है । उस ओर हम लोगों का ध्यान कम जा रहा है ।

ऊख का दाम एक तरह से फसल से पहले तय हो जाता है । आगे होने वाली फसल का दाम पहले ही तय हो जाता है और सब लोगों को मालूम रहता है कि हमको ऊख का अगले साल कितना दाम मिलेगा और उसी पर उनकी खेती होती है । मैं चाहता था कि हर एक फसल के लिये ऐसा नियम लागू होता ताकि धान, पाट और कौटन का दाम भी ऊख की तरह से खेती करने के पहले तय हो जाया करे , जिससे किसानो को यह मालूम होजाय कि अगले सीजन में हमको धान वगैरह का क्या दाम मिलेगा । लेकिन ऐसा नहीं होता । ऊख के किसान बहुत फारचुनेट हैं कि उनके लिये दाम बहुत पहले से तै हो जाता है और उस दाम को देखकर वह खेत की बुवाई करते हैं । मैं यह अनुपयुक्त समझता हूं कि जब पहले से दाम ठीक किया हुआ है तो यक बयक दाम बढाने की बात की जाये । जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र किसानों को बहकाकर उनसे मिलों को ऊख नही देने दे रहे हैं वे किसानों के हित में काम नही कर रहे हैं । वे जानते हैं कि मिल वाले ज्यादा दिन टिक सकते हैं लेकिन किसान अधिक दिन नही टिक सकते और यह होगा कि दो चार पाच दिन बाद वे जाकर अपना गन्ना बेचने लगेंगे जिसमें उनको घाटा होगा । मिल वाले तो चाहते हैं कि व ऊख की पिराई जनवरी फरवरी और मार्च मे करे क्योकि उसमे उनको चीनी का परसेंटेज ज्यादा मिलता है और इस वक्त परसेंटेज कम रहता है । फिर मार्च के बाद रिकवरी बहुत कम हो जाती है । तो मिल वाले तो चाहते ही हैं कि जनवरी. फरवरी और मार्च मे पिराई करे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो, और हमारे मित्र अनजाने उनके हाथो में खेल रहे हैं ।

श्री ब्रज राज सिंह . तो आप जनवरी में कराइये ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : लेकिन गृहस्थों की जरूरियात को आप नही देखते । वे रुक नही सकते । वे जल्दी से जल्दी अपना ऊख बेचना चाहते हैं, अपने खेत खाली करना चाहते हैं और उस रुपये से अपना काम चलाना चाहते हैं । उनकी रिटेंटिव पावर बहुत कम है । इसलिये हम ऐसा नही कर सकते कि फरवरी या मार्च में उनका गन्ना दिलवावें । आज जो परिस्थिति है उसके मुताबिक हमको काम करना होगा ।

इस सदन में बार बार प्रश्न आया है कि चावल का दाम बढता जा रहा है, तीन महीने पहले यह समस्या कई बार सदन के सामने आयी । जूट का दाम बढता जा रहा है और गल्ले का दाम बढता जा रहा था और हम लोगो ने शोरगुल मचाया कि दाम घटना चाहिये । तो हमने जूट बोने वालो की पैदावार का, धान बोने वालो की पैदावार का और पाट बोने वालो की पैदावार का दाम कम करने की कोशिश की बगैर यह सोचे हुए कि उनको घाटा होता है या नफा होता है । लेकिन आज ऊख के दामो को बढाने का सवाल उठाया जा रहा है यह जानते हुए कि यह सत्याग्रह अधिक दिनो तक नही चल सकता और इसमे गृहस्थो को हानि ही उठानी पडेगी ।

दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि पहले ऊख का दाम अधिक था, वह एक रुपया १२ आना और दो रुपया मन था । इस वजह से ऊख की खेती बहुत अधिक हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का सारा ऊख मिल वाले खरीद नही सके और खेतों में ही खड़ा रह गया । इससे उनको बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी । तब गवर्नमेंट ने जितना बगैर बिका ऊख था उसका सर्वे कराया और उसका पैसा उनको दिया गया,

लेकिन जो पैसा इस तरह मिला वह उससे बहुत कम था जो मिल वालों से मिलता । आज आप दाम बढ़ा देंगे तो उसका क्या असर होगा ? यहां पर इस बात की खिल्ली उड़ाई गयी है और यह कहा गया है कि यह कहना गलत है कि अगर गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायेंगे तो अधिक जमीन में गन्ने का उत्पादन होने लगेगा । लेकिन मैं कहता हूं कि यह गलत नहीं है । यह अनुभव की बात है । हम पीछे की बात भूल जाते हैं और केवल वर्तमान की ही सोचते हैं । भविष्य का भी हम खयाल नही करते । जो पीछे हो चुका है उसको आपको मद्देनजर रखना चाहिये । आज हम समझते हैं कि अगर हम दो पया मन कर देंगे तो अच्छा होगा । लेकिन उसका नतीजा क्या होगा । हमारा यह भय नहीं है कि इससे गल्ले की पैदावार कम हो जायेगी, बल्कि हमारा भय यह है कि गन्ने का उत्पादन बहुत बढ़ जायेगा और उसको मिल वाले नही ले सकेंगे और फिर किसानों को आर्थिक हानि उठानी पडेगी ।

मेरे हाथ मे इस समय टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट है । मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हू । उसके पेज १२३, १२४ और १२५ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं यह सब कोट नही करना चाहता लेकिन केवल यह बता देना चाहता हूं कि एन्क्वायरी के बाद उन्होंने कास्ट आव कल्टीवेशन के बारे में कहा कि गन्ने का दाम एक रुपया चार आना तीन पैसे मन होना चाहिये । फिर आगे कहा है :

"We have also seen that the fair price of cane based on the estimated return from gur is Rs. 1-4-3 on the basis of these two figures. We consider that the price of Rs. 1—7 per md. should be regarded as a fair price for cane in the present circumstances. It is however, expected that when the intensive research and development programmes now taken in hand by the Provincial Government are carried out, the price for cane can be reduced to Rs. 1-4 in the next two or three years possibly."

तो यह उनकी रिपोर्ट है । इसके अनुसार जो आज दाम दिया जा रहा है वह कम नहीं है । हमको एक आइसोलेटेड चीज को नहीं देखना चाहिये बल्कि सारी चीजों को एक साथ रखकर देखना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि हम एक ही चीज को तरजीह दें और दूसरी चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही न जाये । इसलिये मेरा कहना है कि इस वक्त यह आन्दोलन और हल्ला करना उचित नहीं है । हां आगे के लिये सब को मालूम हो जाना चाहिये कि दाम क्या रहेगा । अगर आज एक रुपया १२ आना या दो रुपया मन तै कर दिया जाये तो गन्ना उत्पादक समझ जायेंगे कि आगे हमको क्या मिलने वाला है ।

साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिस पर मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिये । वह यह है कि जो दाम ऊख का दिया जाता है वह बहुत इर्रेगुलर तरीके मे दिया जाता है । इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये । किसानों का बहुत सा रुपया बहुत दिनों तक मिलों पर बाकी रहता है जिससे उनको बडी मुसीबत उठानी पड़ती है । तो मोड आफ पेमेंट ऐसा होना चाहिये कि किसानों का दाम जल्दी से जल्दी मिल जाय और अगर दाम जल्दी न मिल सके तो उस पर उनको उचित सूद मिल वालों से दिलाया जाय ।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, गन्ने का दाम निर्धारित करते समय हमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का विचार रखना चाहिये । लेकिन मेरा यह आरोप है कि आजतक सरकार जिस पद्धति से गन्ने का मूल्य निर्धारित करती रही है उसमें न तो उत्पादक के हितों का संरक्षण होता है और

[श्री वाजपेयी]

न उपभोक्ता ही सस्ते दाम पर चीनी प्राप्त कर सकता है ।

आज गन्ना पैदा करने वाले किसान को उसके गन्ने के लिये एक रुपया सात आना मन मूल्य दिया जा रहा है । और जो चीनी के उपभोक्ता हैं वे ३६ या ४० रुपये मन चीनी खरीद रहे हैं । तो सवाल यह है कि चीनी और गन्ने के दाम किस गणित और किस तरीके से निर्धारित किये जाते हैं कि जिनके परिणाम-स्वरूप गन्ने के उत्पादक किसान को भी उसका उचित मूल्य नही मिलता और चीनी खाने वाले को भी अधिक दाम देने पडते हैं ।

आज स्थिति यह है कि चीनी के दाम बढ रहे हैं, इसलिये नही कि सरकार चीनी का मूल्य बढाने जा रही है या गन्ने का मूल्य बढाने जा रही है । अभी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमे चीनी के बढते हुए मूल्यों के सम्बन्ध मे चिन्ता प्रकट की है । और इस हडताल के परिणाम-स्वरूप मूल्य और भी बढेंगे मैं यह जानना चाहूगा कि इस बढते हुए मूल्य की स्थिति मे सरकार ने उपभोक्ताओ के हितो का सरक्षण करने के लिये कौन से कदम उठाने का निश्चय किया है । जो हडताल हो रही है, मै उस मे सहमत नही । हडताल नही होनी चाहिये, यद्यपि मैं उन की इस माग मे सहमत हू कि गन्ने के दाम बढाये जाये और मैं इस प्रश्न को एक व्यापक दृष्टि से देखना चाहता हू और शासन मे भी निवेदन करूगा कि कृषि पैदावार के मूल्य निर्धारित करने समय वह इस बात का ध्यान रखे कि अगर हम देश का औद्योगीकरण सफल करना चाहते हैं, तो अगर देश की अधिकाश जनसख्या, जो कि कृषि पर निर्भर करती है, की क्रय-शक्ति नही बढाई जायगी, तो देश मे बढती हुई पैदावार के लिये हम अपने देश मे बाजार नही प्राप्त कर सकेंगे, जिस का परिणाम यह होगा कि हमारे औद्योगीकरण की सारी योजना विफल हो जायेगी । जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं, उन से यह प्रकट होता है कि हमारे देश में खेती पर ६६ ८ परसेंट लोग निर्भर करते हैं, लेकिन नैशनल इनकम में उन का कांट्रीब्यूशन केवल ५१ परसेंट है । इस का अभिप्राय यह है कि कृषि की प्रति व्यक्ति आय केवल ५०० रुपये है, जब कि खानों और कारखानो में वह १७०० रुपये है । जो लोग खेती में लगे हैं, अगर उन की पैदावार का—चाहे वह अनाज हो, चाहे गन्ना इत्यादि हो—मूल्य निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान नही रखा जाता कि उन के हितो की रक्षा हो, तो मेरा निवेदन है कि आगे जा कर आज नही तो आगे जा कर—सकट खडा होगा और सरकार पर मेरा यह आरोप है कि कृषि की पैदावार और औद्योगिक पैदावार के मूल्यो के बीच में कोई अनुपात निर्धारित करने मे वह सफल नही हुई है, जिस का परिणाम यह है कि जब किसान को अधिक कीमत मिलनी चाहिये, वह अधिक कीमत उस को नही मिलती । वह अपना माल बाजार मे सस्ते दाम पर बेचने के लिये मजबूर होता है । अभी हमारे मित्र तिवारी जी कह रहे थे कि जब चावल का दाम बढता है, तो लोग चिल्लाते हैं । वे इस लिये नही चिल्लाते हैं कि किसान को अधिक दाम न मिले, मगर दुर्भाग्य यह है कि इन चीजों के के दाम तभी बढते हैं, जब ये चीजें किसान के हाथो से निकल कर मध्यम वर्ग के व्यापारी के हाथ मे, बिचौलिये के हाथ मे, आ जाती हैं । किसान को अगर कुछ अधिक मिल जाय तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये लेकिन सरकार की जो मूल्य-निर्धारण की नीति है, जो प्राइस-पालिसी है, मेरा निवेदन है कि वह किसानो के हित को देख कर निर्धारित नही की जाती है । गन्ने की कीमत पर भी व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये । मैं इस आपत्ति मे सहमत नही हू कि अगर

गन्ने की कीमत बढा दी गई, तो अनाज का क्षेत्रफल कम हो जायेगा और किसान गन्ना ही बोने लगेंगे और अगर सचमुच में यह आशंका है, तो क्या हम कीमत कम दे कर किसान को उस के परिश्रम का उचित लाभ न दे कर इस व्यवस्था को अधिक दिनो तक बनाये रख सकते हैं। इस के लिये हमें खुले बाजार पर छोड देना चाहिये। अगर किसान अधिक गन्ना पैदा करेगा और उस की खपत नही होगी, तो फिर वह उस से लाभ उठायगा शिक्षा लेगा और गन्ने की पैदावार कम करेगा। आज भी हमारे मिल-मालिक घाटा सह कर चीनी को बाहर भेज रहे हैं, जिस से हम कुछ फारेन-एक्सचेंज कमा रहे हैं। अगर गन्ने का क्षेत्रफल बढ गया उस की पैदावार बढ गई और को-ओपरेटिव आधार पर हम ने मिलें खडी की और चीनी को बाहर भेजा तो मैं समझता हू कि क्षेत्रफल बढने से जिस सकट की हम आशका करते है, वह सकट पैदा नही होगा और उस में से शायद हमारा कुछ लाभ ही होगा।

इस के साथ एक और बात का भी विचार आवश्यक है और वह यह है कि गन्ना पैदा करने वाले किसानो की छोटी छोटी कठिनाइया जब प्रशासन दूर नही कर पाता, तो वे इकट्ठी होती रहती ह। तो फिर वे एक ही सवाल पर—गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिये इस को अपना केन्द्र बना कर विस्फोट के रूप में प्रकट होती है। जैसा कि कई मित्रो ने कहा है, किसानो का लाखो रुपया मिल-मालिको पर बकाया है। रुपया उन्हें नही दिया जाता है। उस का कोई ब्याज भी नही दिया जाता है। उन्हे कुछ दिनो तक लाइन मे खडे रहना पडता है। पर्ची ठीक तरह से नही बाटी जाती। गन्ना ठीक तरह से तोला नही जाता और भुगतान मे भी कुछ गडबड होती है—कुछ दक्षिणा ली जाती है। ये छोटी छोटी अव्यवस्थायें छोटी छोटी असुविधायें किसान के मन मे असतोष पैदा करती है, जो कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिये, इस बड़े सवाल पर हड़ताल के रूप में प्रकट होता है। मेरा निवेदन है कि सरकार गन्ने या कृषि से पैदा होने वाली अन्य चीजों का मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का विचार रखे कि किसान की क्रय-शक्ति बढनी चाहिये, जिस से औद्योगिक पैदावार में जो माल तैयार होगा उस के लिये हम अपने देश में ही बाजार पैदा कर सके।

17 hrs.

दूसरी बात यह है कि औद्योगिक माल और कृषि की पैदावार, इन दोनो की कीमतो के बीच मे कोई सतुलन होना चाहिये। यह काम कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम अपना राष्ट्रीय आयोजन सफल करना चाहते ह लोकतत्रीय मार्ग से—मैं तानाशाही की बात नही करता—तो हमें ऐसी व्यवस्था का विकास करना होगा जिस में यह स्थिति उत्पन्न न हो कि खेती पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को अपनी मेहनत का कम पैसा मिले, सिर्फ इस लिये कि वह खेती में लगा है, और औद्योगिक माल के दाम बढ जाये और हम जो किसान का जीवन-स्तर ऊचा उठाना चाहते हैं वह हम न उठा सकें। गन्ने की कीमत बढाने के सवाल पर भी इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये और मैं समझता ह कि अगर सरकार गन्ना उत्पादको के प्रतिनिधियो और मिल-मालिको के साथ स्वय बैठ कर गोलमेज सम्मेलन मे विचार करे अपना पक्ष उन्हें समझाए, उन की कठिनाइया सुने, तो कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे हडताल का सकट टल जाये जिस से किसानो को भी नुकसान न हो और गन्ने के दाम उचित मूल्य पर निर्धारित किये जा सके।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सभापति महोदय, जो सवाल आप के सामने पेश है, उस पर मेरे साथी जिन की खास तवज्जह उस पर रहती है

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जवाब देंगे, लेकिन उस के कुछ पहलू हैं जिन की तरफ मैं आप का ध्यान और इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ पहलू दूर के हैं और इस हाउस को इन बातों को खास तौर से निगाह में रखना है।

अभी कुछ जिक्र हुआ फारेन एक्सचेंज का। वह भी एक हिस्सा है, एक जुज है हमारे बड़े सवाल का। पंच वर्षीय योजना है, हमारे बढ़ने का सवाल है, आइन्दा की तरक्की के लिये हम कितना रुपया इनवेस्ट करें ये बड़े सवाल हैं। जाहिरा इस में हमें महज गौर नहीं करना है, लेकिन बड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है, हम समझते हैं कि हम आइन्दा के लिये, तरक्की की इनवेस्टमेंट वगैरह के लिये ६ फीसदी सालाना बचायें। और जितने मुल्क अक्सर हैं, वे उसका दुगना और ढाई गुना कर रहे हैं। और अगर इसमें ढील हो, तो जाहिर है कि हम वहीं के वहीं रहते हैं। कुछ दिनों में हमें तीसरी पंच वर्षीय योजना का विचार करना पड़ेगा, लेकिन उस के विचार करने के पहले हम सब दरवाजे बढ़न के बन्द कर दें तो जाहिर है कि उस पर विचार करना बहुत कारामद नहीं होगा।

अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस गणित से इस के दाम मुकर्रर होते हैं, वह बहुत ठीक बात है। उन्होंने कई बातें कहीं—कि तोलने में खराबियां होती हैं वगैरह वगैरह। वह तो गौर-तलब है और उन पर विचार करना चाहिये और खराबियों को दूर करना चाहिये। लेकिन बुनियादी बात आप के सामने यह है कि गन्ने के दाम बढ़ें या न बढ़ें। मोटी बात है। और खराबियां निकलें। जाहिर है कि हर एक आदमी चाहता है कि हमारे किसानों का फायदा हो, जितना हम फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस फायदे की कोशिश में, एक आर्जी फायदे की कोशिश में उनको आखिर में नुकसान पहुंचायें, हमारा प्लानिंग खराब हो जाये, यह कैसे ठीक है। इससे न उनको फायदा होगा और न किसी और को। क्या इस वक्त जो दाम है, वाजिबी दाम हैं? चूंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो यह बात है कि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि शक्कर वगैरह के दाम बाकी दुनिया के देशों के दामों से काफी बढ़े हुये हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करें। तो अगर हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है तो हम दूसरे देशों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारे दाम अधिक होंगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यह मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी मिल मालिक नुकसान उठा कर चीनी बाहर भेजेगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ऐसा नहीं करता है लेकिन यह और बात है कि अगर कोई आइंदा के फायदे के लिये थोड़े दिन नुकसान उठा ले तो वह उठाने को तैयार हो जाता है। अगर मिल मालिक ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सबसिडी देनी होगी और यह सवाल उठ बगैर नहीं रहता है। ऐसे मौके पर यह कहना कि और उस फर्क को बढ़ा दिया जाये या कोई ऐसा कदम उठाया जाये जिससे फर्क बढ़ जाय और देशों की शुगर के मुकाबले में तो जाहिर है कि इसमें दिक्कतें बढ़ जायेंगी और जो असली चीज है वह आसान हम नहीं कर पायेंगे।

दूसरा मसला यह है कि हमारी जमीन कुछ पहले से ज्यादा गन्ने की तरफ जा रही है। इसका मतलब यह है कि गन्ने से गल्ले की तरफ जा रही है।

17·12 hrs.

[MR SPEAKER *in the Chair*]

इसका मतलब यह नहीं है कि गन्ना पैदा करने वाले लोगों के जरिये बड़े हैं बल्कि वे लोग पसन्द करते हैं वहां जाना बजाय गल्ले के।

आज सुबह मैं आचार्य विनोबा भावे की पदयात्रा में शरीक हुआ और एक दो मील उनके साथ चला। उनके साथ मेरी बातें भी होती रहीं। मैंने उनसे कुछ यों ही जिक्र किया इसके बारे में। वह भी इसी गन्ने की हालत के बारे में पूछ रहे थे। वह कहने लगे कि जब वह गोरखपुर में थे तो उन्होंने वहां अपने एक व्याख्यान में कहा था कि बहुत जल्दी लड़ाई आने वाली है गल्ले में और गन्ने में।

श्री रघुनाथ सिंह : गल्ला-गन्ना।

श्री जवाहरलाल नेहरू : लड़ाई से मतलब यह है कि ज्यादा गल्ला पैदा किया जाये या गन्ना पैदा किया जाये। उनकी राय यह थी कि गल्ला पैदा किया जाये और यह राय उनकी बहुत जोरों की थी। उनकी राय यह थी कि ज्यादा गन्ना होता जाता है गल्ला उसके मुकाबले में कम होता है। इनका मुकाबला नहीं है और मैं समझता हूं सारी चीज एक है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो यह बताऊं कि गल्ले को पैदा करने वालों पर ज्यादा बोझा है क्योंकि उसको हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

तो ऐसे मौके पर आप एक चीज का ध्यान रखें और वह यह है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे गल्ला पैदा करने मे जो लोग हट चुके हैं उनकी तादाद हम बढ़ायें। यह बात मुनासिब मालूम नहीं देती है। हम चाहते हैं कि हर एक को फायदा हो, हर एक को लाभ हो लेकिन हमें उसके आर्थिक नतीजे जो निकलते हैं उन पर भी गौर करना है।

दूसरे एक्सपोर्ट के बारे में मैं यह नहीं कहता कि हमें बहुत एक्सपोर्ट करना चाहिये या हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम इसके नाकाबिल होते जाते हैं और अगर दाम बढ़े तो और भी नाकाबिल हो जायेंगे।

श्री ब्रज राज सिंह : एक साल के बाद इम्पोर्ट करने की जरूरत आपको पड़ेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुम्किन है यह भी हो और इसको भी देख लिया जाएगा एक साल के बाद अगर हम गलत पालिसीज़ पर चलेंगे तो तरह तरह के उसके गलत नतीजे होंगे। तो जाहिर है हमें इस पर गौर करना है। खाली इस बात पर जोर देना कि हमें उन्हें फायदा पहुंचाना है, ठीक नहीं होगा। फायदा पहुंचाने में हम सब एक हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि आखिर किस की जेब से फायदा पहुंचायेंगे आप। यह तो उन्हीं की जेब से हो सकता है किसी और की जेब से तो नहीं। आम किसान की जेब से ही आखिर यह सब होता है। जो कुछ आपकी आमदनी है उसका बहुत कुछ भाग आम किसान से ही आता है, उसी के ऊपर उसका बोझा पड़ता है। अगर हर चीज की कीमत को बढ़ाते जायें, खर्चा बढ़ाते जायें, तनख्वाहें बढ़ाते जायें तो आखिर में वह गरीब किसान की जेब मे ही आयेगा असली सवाल मुल्क की आमदनी बढ़ाने का है।

चुनांचे यह छोटा सा सवाल नहीं है। सवाल यह नहीं है कि एक रुपया सात आने या एक रुपया आठ आने कर दिया जाए या न किया जाए बल्कि जो उसूल की चीज है जो बुनियादी चीज है वह यह है कि आइंदा आप किस नीति पर चलेंगे, प्लानिंग की पालिसी आप अख्त्यार करेंगे या जो कुछ आपके पास पैसे हैं उसको आप इधर उधर लगा दें ताकि बाद में साफ हाथ बैठ जायें। इस चीज को कोई भी पसन्द नहीं करेगा और यह बहुत ही खतरनाक चीज होगी। हमारे ऊपर काफी बोझ है—मेरा मतलब यह है कि मुल्क के ऊपर काफी बोझे पड़ने वाले हैं, अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें तेजी से तरक्की करनी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सभी हम चाहते हैं कि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मुल्क तरक्की करे। लेकिन शायद अलग अलग बात के साथ विचार होने से उस बड़ी बात का विचार नहीं होता । इस तरह से अलग अलग बातों में हमारे बहक जाने का अंदेशा होता है—

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर । मै यह पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे ह जिस से यह हड़तालें जो आज हो रही है न हीं । आप देखें कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है । आपको मेहरबानी करके कोई तरीका निकालना चाहिये जिस से यह हड़तालें हों ही न ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर खत्म हो गया, कोई आप रूलिंग देना चाहते हैं इस पर ?

मै बहुत अदब से हाउस इस से अर्ज करूंगा कि वह इस बडी तसवीर को देखे और बड़ी तसवीर में अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो बड़ा नुकसान हो सकता हैं क्योंकि एक के बाद एक चीज होती हैं । इसलिए अगर उस बड़ी तसवीर को आप अपने सामने रखें तो पता चलेगा कि इस वक्त इस गन्ने के दाम बढाना बहुत नामुनासिब होगा ।

श्री स० म० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, में चाहता यह हूं कि हमारे हर दिलअजीज प्रधान मंत्री जी के बाद कोई ऐसी चीज इस हाउस में न कहूं जिस से उनके जजबात को ठेस लगे जबकि देश के लोगों के जजबात में ठेस लगेगी । एक चीज मेरे मन में आती है । आज कहा यह जाता है और उत्तर प्रदेश की असेम्बली भी में हमारे मंत्री महोदय, श्री मोहन लाल गौतम जी ने कहा है कि अगर गन्ने के दाम बढ़ गये तो हो सकता है कि जो जमीन गल्ले या दूसरी दूसरी चीजों का उत्पादन करने के लिए काम में लाई जाती है, उसको लोग गन्ने के उत्पादन में बदल दें । में समझता हूं कि यह नहीं हो सकता हैं । मै आज इस सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो कि मेरे पास है । सन् १९३५ और १९३६ में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि २५ लाख एकड़ जमीन गन्ना पैदा करने के लिए काश्त में लाई जाती थी । अब सन् १९५७ और १९५८ में वह ३० लाख एकड़ हुई यानी सिर्फ ५००० एकड़ जमीन ही और गन्ने की काश्त के लिए इस्तेमाल में लाई गई । साथ हीं साथ जो गन्ना शुगर फैक्टरी में पेरा गया उसके अब मैं कुछ आंकड़ आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं । और वहीं के आंकड़े मेरे पास हूं और उन्हीं को में इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। १९५७–५८ में २७ करोड़ मन गन्ना पेरा गया जबकि १९५६–५७ में २० करोड़ मन पेरा गया था । यह कह देना कि अगर जो जमीन अन्न के नीचे है वह गन्ने की काश्त के नीचे आ जायेगी या उन लोगों का झुकाव और रुझान उस तरफ बढ़ेगा और अन्न जिस का हमारे सामने संकट है, जो एक समस्या बनी हुई है और जिसको हल करने के लिए सब को मिल कर काम करना चाहिए वह शायद हल नहीं होगी, मेरी समझ में नहीं आता है । अगर गन्ने का दाम एक रुपया बारह आना मन कर दिया जाए तो आखिर किस तरीके से यह तमाम दिक्कतें पेश होंगी जिन का जिक्र कि हमारे हर दिलअजीज प्रधान मंत्री ने किया है । किस तरह से चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस ओर मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब गन्ने का दाम एक रुपया बारह आना मन था तो चीनी का दाम ३० रुपया ८ आना मन था । सन् १९५७-५८

मैं जब गन्ने का दाम दो रुपया मन हुआ तो चीनी का दाम उस वक्त भी ३५ रुपया मन रहा । मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सी चातुरी कौन सी जादूगरी है कि आज जब गन्ने का दाम एक रुपया सात आना मन हुआ यानी काफ़ी घट गया तब चीनी का भाव ३५ रुपया, ३६ रुपया और यहां तक कि कुछ जगहों पर ३७, ३८ और ३९ रुपया मन हो गया । यह कैसे हो गया यह मेरी समझ में नहीं आया है ।

दूसरी चीज प्रधान मंत्री जी ने यह कही है कि अगर हम गन्ने का दाम बढ़ाते है तो उसमें काफी रुपये की जरूरत होगी और वह जो रुपया हम चाहेंगे वह कहां से आएगा, आखिर में जो लोग टैक्स देते हैं जिन में गरीब किसान भी शामिल हैं उन्हीं की जेब से वह पैसा निकलेगा । मेरा नम्र निवेदन है कि हम गरीबों की जेबें टटोलने के लिए इस सदन में भाषण नहीं देते । हम चाहते हैं कि जो शुगर मैगनेट्स हैं, बड़े बड़े सरमायेदार हैं, शुगर इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी जेबों को भी कभी अहिंसात्मक तरीके से अगर हाथ लगाया जाए तो शायद कुछ पैसा आ सकता है और अगर आप मुनाफे का बटवारा करें और देखें कि चीनी से कितना मुनाफा हुआ, प्रैसमड से कितना हुआ, मोलेसिस से कितना हुआ और दूसरी चीजों से कितना हुआ और पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को एकत्र करें तो मै आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गरीब किसानों की जेब भी हमें टटोलने की जरूरत नहीं होगी । या दूसरे लोगों की जेब को टटोलना न होगा । वेज बोर्ड का फैसला हो सकता है और हम किसानों और वर्कर्स को भी १ रु० १२ आ० मन दे सकते हैं । मैं सदन के सामने सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मुनाफे की बात को देखिये तो मुनाफे की बाबत यह है:

"It is no wonder, therefore, that the profit index in the sugar industry (Base: 1939—100) rose from 126:7 in 1942 to 419:8 in 1953. And compare this with the all-industries profit index which rose from 221.8 to 261.2 in the same period."

मुनाफे में कोई कमी नहीं है किसी तरह की । उन को डिविडेंड काफ़ी मिल रहा है । मैं आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि जब सन् १९५७-५८ में काफी आन्दोलन उत्तर प्रदेश में हुआ तो उस के नतीजे के फलस्वरूप गन्ना १ रु० ५ आ० और १ रु० ७ आ० मन हुआ । इसलिये अगर हम या आप देश के सामने कोई बड़ी भारी समस्या रख दें कि हमारी जमीन में और गल्ला न हो कर गन्ना होने लगेगा, और गल्ले और गन्ने में लड़ाई हो जायेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गल्ले और गन्ने के बीच कोई ज्यादा लड़ाई नही है । जिस तरीके से हमारे और आप के बीच में लड़ाई है, उस से कम है और उसका समाधान हो सकता है ।

दोनों असेम्बलीज ने बिल्कुल एक राय हो कर पास किया कि गन्ने का दाम १ रु० १२ आ० मन होना चाहिये, लेकिन जो फैसला जम्हूरी तरह से, प्रजातांत्रिक रूप से किया गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कदमों के नीचे मसल दिया गया और फिर भी कहा जाता है जबान से कि हम प्रजातांत्रिक असूलों की हिफाजत करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां पर एक्सपोर्ट की बात न सोचें, आप एक उसूल की बात सोचें । तमाम चीजों का हल करने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय एक मीटिंग

[श्री स० म० बनर्जी]

दुनिया में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तरीके से कहा है :

"The Chief Minister indicated, during the winter session which concluded yesterday, that the State Government had conveyed the Vidhan Sabha's recommendation to the Union Government and had sought its implementation."

इस से साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लिखा है, या उन से बातचीत की है कि इस फैसले को इंप्लीमेंट होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि जब दोनों राज्य सरकारें इस बात पर राजी हैं तो आखिर इस की पुष्टि आप क्यों नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप केन ग्रोअर्स ऐसोसियेशन के नुमाइन्दा को बुलाइये, उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी नुमाइन्दों को बुलाइये और हमारे मंत्री महोदय वहां रहें और तीनों मिल कर एक फैसला करें। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि चूंकि मंत्री महोदय ने एक दफा कह दिया कि अभी दाम नहीं बढ़ सकता है इसलिये उस पर विचार न किया जा सके। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस को ले कर गरीबों की जिन्दगियों के साथ मजाक हो। यह नहीं होना चाहिये कि हम ने कह दिया कि अब दाम नहीं बढ़ेगा और "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहिं पर वचन न जाई" इस रीति का निभाना रामराज्य की परिभाषा नहीं है। इसलिये मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आज अगर आप क्वालिटी के बारे में कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मैक्रोज के परसेन्टेज के बारे में कहते हैं, तो मैं बतलाऊंगा कि हमारे मंत्री महोदय जो श्री अजित प्रसाद जैन हैं उन्होंने इस के बारे में कहा है। सरमायेदारों का जो पत्र "इंडियन शुगर" है उस ने उन की स्पीच को कोट किया है। उस ने कहा है :

"Shri Jain was addressing a gathering of sugar factory workers farmers and industrialists at the inaugural function of the new plant at L. H. Sugar Factories and Oil Mill Ltd, Kashipur on the 2nd of this month. Recovery in U.P., the Minister said, was much less than in the south. It was therefore, vital that the sucrose content of cane was increased while per acre production of sugarcane should be much more what it was. He added that no real attempt has so far been made to improve the quality of sugarcane. The Minister indicatcated that it was likely that the recovery from cane was to be linked with the sugarcane price."

जब वह खुद भी महसूस करते हैं कि यह परसन्टेज गिरता जा रहा है, आज रिकवरी की परसन्टेज गिरती जा रही है, तो आखिर काश्तकार किस लालच में गन्ना पैदा करे ? अगर क्वालिटी को बढ़ाना है तो जरूरी है कि उस के लिये काश्तकारों के अन्दर इंसेन्टिव पैदा हो। इसलिये मैं इस सदन के रेजोल्यूशन की बात नहीं करता हूं, मोदी नगर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ने मैन्डेट दिया लोगों को कि आप गेट छोड़ दें और हड़ताल न करें, लेकिन दूसरे कांग्रेसी भाइयों ने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है। हमारे सामने बहुत से भाइयों ने सब्स्टिट्यूट मोशन दिये हैं जो कि रूलिंग पार्टी के हैं। मैं जानता हूं कि किसी खास वजह से, कोई खास चीज आ गई है, जिस की वजह से उन की चलती हुई जबान सदन में रुकती जा रही है। लेकिन मुझे पूछना है कि क्यों नहीं इस चीज को राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाता। अगर हमें इस को वाकई राष्ट्रीय

पैमाने पर हल करना है तो हम यह मत सोचें कि इस में कोई पोलिटिकल पार्टीज इन्टरेस्टेड है या नहीं । पूरे देश की पोलिटिकल पार्टीज इस में इन्टरेस्टेड हैं कि चीनी के दाम घटें और गन्ने के दाम बढ़ें और सरमायेदारों की जेब से पैसा निकले । इसी तरह से यह मामला हल हो सकता है ।

दो साल पहले गोपाल कृष्णन कमेटी के नाम से एक कमेटी बिठाई गई । इस कमेटी का काम यह था कि वह जांच करे कि किस तरह शुगरकेन की प्राइस निर्धारित की जाये । उसकी रिपोर्ट सदन के सामने तो नहीं आई, लेकिन सुना जाता है कि उस की रिपोर्ट आउट हो गई है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह रिपोर्ट है कहां ? क्या वह कोई खुफिया रिपोर्ट तो नहीं है, डिफेन्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट तो नहीं है, कि इस सदन के सामने नहीं आ सकती है । मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर किया क्या जाय, यहां कमेटी बैठती है, कमेटी लेटती है और कमेटी सो जाती है । मुझे खतरा है कि कहीं वह कमेटी भी तो सो नहीं गई । मैं प्रधान मंत्री जी से और जो हमारे मोअज्जिज लीडर यहां मौजूद हैं उन से निवेदन करूंगा कि इस को राष्ट्रीय मसला समझ कर हल करने की कोशिश की जाये । आप एक मीटिंग बुलाइये जिस में केन ग्रोअर्स के रिप्रेजेन्टेटिव हों, उत्तर प्रदेश और बिहार के रिप्रेजेन्टेटिव हों, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव हों, और उन के बीच इस का फैसला हो । मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर उन के जरिये इस अहम मसले को तय करने की कोशिश करें तो समस्या सुलझ सकती है । हम इस का फैसला जल्दी करें ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं उन के हाथ मजबूत हो जायें । मेरा निवेदन है कि आप सरमायदारों की जेबों को टटोलें । उन की जेब से थोड़ा पैसा लें और उसके बाद भी वे चुनाव में आप को पैसा देंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मैं इस मौके पर किसी कानूनी टैकनिकैलिटीज में——

Some hon. Members: Let it be in English.

Some hon. Members: No, Hindi.

Shri A. P. Jain: I am not going to take my stand on any legal or technical grounds I am not going to say that because the price of sugar-cane was fixed at a particular time, even if a suitable case has been made out for raising it, we should not do it. This policy of fixing the price of sugar-cane in anticipation of the sowing season was adopted purely in the interest of the cane-growers. It was adopted so that the cane-grower may decide his cropping pattern and decide what portion of his land he is going to put under sugarcane and what under other crops. Even so, I do not think that it is an obstacle of a kind which should come in our way to raise the price, provided a suitable case has been made out.

The question before the House is simple: whether the price of sugarcane should be raised from Rs. 1-7-0 to Rs 1-12-0 or to any higher figure. Now a number of things have been said about the farmer. Everyone of us knows that the Indian farmer is very poor, he suffers from many difficulties, his economic condition is very depressed. But all those factors, although we fully realise their significance, are not relevant to this particular discussion. When we consider whether a case has been made out for raising the price of sugarcane, we should not forget that it is not every farmer in India who grows sugarcane; only a few farmers grow sugarcane. So, we have to see that a parity between the price of sugarcane and other farm produce is maintained. Even

when we talk of the sugar-cane growers, we only talk of a section of the sugar-cane growers Only about one-third of the sugar-cane produced in our fields goes to the mills. The remaining, i.e, two-thirds, sugarcane is used either for making *gur* or *khandsari*

Now, what is the position? Some people from my village saw me the other day They told me that the sugarcane for the manufacture of *gur* and *khandsari* was being sold at Re 1 and Rs 1-1-0 per maund As against this the cane grower, who is supplying sugar-cane to the mills, is getting Rs 1-7-0 per maund at the factory and Rs 1-5-0 per maund at the out stations So, the House will realise that the cane grower in whose interest all these arguments are being advanced is getting much more than his brother cane grower who is not supplying sugarcane to the mills but is supplying sugarcane for the manufacture of *khandsari* or *gur*

Another argument advanced is, that there has not been diversion from sugarcane to foodgrains The fact of the matter is that in Uttar Pradesh during the last four years, i e, since 1953-54, the area under sugarcane has gone up from 19,73,000 acres to 30,17,000 acres All over the country the production of sugarcane has gone up from 34,85,000 acres in 1953-54 to 50 21,000 acres now

Shri Braj Raj Singh: What was the position in 1950-51?

Shri A P Jain. I have not got the figures for 1950-51 with me at the moment

Now the hon Member, Shri Braj Raj Singh, quoted figures for thirties Those are antediluvian figures, of pre-partition days, and have no bearing on the cropping areas of today Nonetheless, the figures of acreage under sugar-cane indicate one tendency namely, that the profit to the cane grower is considerably more than the profit to the farmers who grow other crops Therefore we have to see whether we should maintain the other prices at the level at which they are and increase the price of sugarcane alone

What is the other feature of the rural economy today? The price of jute this year is approximately 20 per cent lower than what it was last year. The price of cotton is approximately 18 to 20 per cent lower than what it was last year The price of rice is also about 5 per cent lower in this part of the year than what it was last year So, the prices of other agricultural produce—this House has been showing great anxiety about the rise in foodgrain prices—are now coming down That is a welcome feature. In the context of the falling prices of other agricultural produce, is there a case for raising the price of sugarcane? I most respectfully submit that this is not the occasion which calls for raising the price of sugarcane In fact even today the sugarcane grower is better off than the farmer who is growing foodgrains or other cash crops particularly the cane grower who is supplying sugarcane to the mills and to whom alone this Motion relates He is also much better off than a cane grower who is supplying his sugarcane either for the manufacture of *gur* or for the manufacture of *khandsari*

The second point that I would like to put before you is, as the hon Prime Minister has said, that we have been exporting sugar at a considerable loss Our present *ex*-factory price of sugar in Uttar Pradesh and Bihar is Rs 36 per maund, i e, no mill can sell sugar—a particular quality of sugar, i e, D-29—for more than Rs 36 per maund and if any factory sells it at a higher price, then it is an offence calling for heavy penalty Out of these Rs 36, Rs 13 or Rs 14 are either taxes or the levy which we impose on sugar in order to meet the losses on

export. That leaves a balance of Rs. 22 or Rs. 23. The world price of sugar today is about Rs. 16-8-0 to Rs. 17. Thus, our ex-factory price of sugar today is Rs. 6 to 7 higher than the world price. If we have to export any substantial quantity of sugar, it becomes necessary for us not to raise the price of sugar.

Mention has been made of the two resolutions passed by the Bihar Assembly and the U.P. Assembly. Undoubtedly, the Bihar Assembly passed a resolution in 1057 to the effect that the price of sugarcane should be raised from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-12-0. The State Government gave considerable thought to it They realised there were certain difficulties. They recommended to us that we should consult other State Governments and then see whether the price should be raised. In the beginning of the year, *i.e.*, in March, we consulted the State Governments, practically all the sugarcane growing State Governments including the U P. They recommended that Rs. 1-7-0 and Rs 1-5-0 was a fair price. Not that we have acted arbitrarily; not that we have not cared for the recommendations of the State Governments. It was after the fullest consultation with all the sugar producing States that we fixed the price of Rs 1-7-0 and Rs. 1-5-0 In fact, the U P. Government has, for a long time, been feeling anxious that as a result of the remunerative price of sugarcane, the area under sugarcane has been increasing rapidly whereas the area under foodgrains has been going down. There has been a diversion of area from foodgrains to sugarcane. I have got the figures I can give them, but I do not want to tire out the House by quoting too many figures This tendency is more marked in the western districts of U.P. where the sugarcane area in the four principal sugar-cane districts during the last 4 years has gone up by 58 to 59 per cent. Afterwards, in the month of July, the U.P. Assembly passed a resolution. The U.P. Government wanted to have a dispassionate examination of this resolution. They referred this resolution to the Joint Sugarcane Board of U.P. and Bihar. The hon. Member, Shri Braj Raj Singh said that the Joint Board has recommended that the price of sugarcane should be raised for the current season. I want to inform you that that is not a fact. They considered the whole question. The Joint Sugarcane Board came to the conclusion that it would be inconvenient for the Government of India to alter the prices now. They have said that a certain statutory board may be set up for the future. That matter is not under discussion. It will come up for the consideration of the Government and whatever policy is decided, that would be announced in the House. So far as this particular season is concerned, they felt that it may not be possible to do it The U.P. Government have supported their recommendation Therefore, we have consulted not only the Bihar Government who made certain recommendations, but also the U.P. Government. I do not want to go into the details. I can assure the House that there has been complete harmony, complete accord between the viewpoint of the Central Government and of the State Governments I can't say there never will be any differences Ultimately when any Government has to take a decision, it has to take the decision on its own responsibility.

I submit that it is not in the interests of the cane grower that the price of sugarcane should be raised. Because, if the price of sugarcane is raised, its production will go up. The capacity of the factories to crush sugarcane is limited This means that more sugarcane will be left for the manufacture of *gur* and *khandsari*, and when there is a glut of sugarcane for the manufacture of *gur* and *khandsari*, the price of sugarcane may further go down. We have to keep a balanced economy. It is no use boosting up one kind of production at the expense of others I submit that there is no case for increase of the price of sugarcane supplied to the mills. Government have fully considered this matter and

[Shri A. P. Jain]

we feel that there is no case for raising the price of sugarcane.

Mr. Speaker: What is the average yield per acre of sugarcane, in Northern India, in terms of tons?

Shri A. P. Jain: About 15 to 16 tons.

Mr. Speaker: It comes to 450 or 430 maunds.

Shri Braj Raj Singh: Three hundred; 12·73 tons in 1957-58.

Shri Palaniyandy (Permbalur): In the south it comes to 40 tons.

Mr. Speaker: Yes; 40 tons.

Shri A. P. Jain: That is true.

Mr. Speaker: We can take it as least as 15 to 16 tons. Then it comes to 450 maunds or so at the rate of 27 maunds per ton That means about Rs. 600 per acre.

Shri A. P. Jain: Many things have been said by hon. Member Shri Braj Raj Singh. He said that the sugar factories are making profit, that certain things are not taken into account, i.e., molasses, press mud and bagasse. When we fixed the price of Rs. 36 as the *ex*-factory price of sugar, the mills felt that we had fixed too low a price We were quite clear in our mind that the price fixed was a fair and just one, but in order to give satisfaction both to the cane grower and also the millers that one is not allowed to make undue profit at the expense of the other, this question of the price of sugar on the basis of the prices of Rs. 1-7-0 and Rs. 1-5-0 for sugarcane has now been referred to the Tariff Commission. Its report is awaited. If anything has been overlooked, if any cost has been miscalculated, surely all these things will be corrected there I am sure that when the report of the Commission is received, all these matters will be settled. I do not want to go into details.

I want to add one thing more before I finish. There is some misunderstanding in the minds of some hon. Members about the nature of the price we are fixing. It must be clearly remembered that we are fixing minimum prices. The minimum prices are Rs. 1-7-0 and Rs. 1-5-0. Besides the canegrower used to get a bonus on a voluntary basis. If the factory made more profit, if it worked for a larger number of days, if its recovery was higher, the canegrowers were entitled to bonus. That was not illusory or something existed on paper alone. During the last few years, the following amounts have been paid by way of bonus to the sugarcane growers:

1952-53 .	Rs.	1,00,53,000
1953-54 .	Rs.	1,13,04,000
1954-55 .	Rs.	71,07,000
1955-56 .	Rs.	62,41,000
1956-57	Rs.	85,00,000 (provisional figure)

This year we have made the bonus as a part of the statutory price, *i.e.*, the price today is Rs. 1-7-0 plus bonus as calculated according to the formula That formula has also been liberalised in favour of the canegrower. The cost figures in the formula are before the Tariff Commission for examination Thus, so far as the profits of the mill industry are concerned, my own idea is that sugar is perhaps the most regulated industry in the whole of the country. The price of the raw material is regulated, the wages of labour are governed by certain labour laws, the cost of manufacture is not very flexible, then a certain profit is allowed, and on the basis of all these things the *ex*-factory price of sugar is worked, which again is controlled. Nonetheless, people are at liberty to hold their own opinion. They can express their opinion before the Tariff Commission. I think that taking the national interests into consideration, that is not only of the canegrower who is supplying sugarcane to the

sugar mills but of all the canegrowers, of all the farmers, of the consumers, of the national finances inasmuch as we have to earn foreign exchange, the present price for cane fixed for the supplies to the factory is not only fair, but it weighs somewhat in favour of the sugarcane growers supplying sugarcane to the mills. I feel that the present prices are fair and just, and if anything, they are favourable to the cane-growers.

Shri S. M. Banerjee: What has happened to the Gopalakrishna Committee's report? Where is the report?

Shri A. P. Jain: Action has been taken on the Gopalakrishna Committee's report

Shri S. M. Banerjee: But where is the report? We have not read it.

Shri A. P. Jain: I am prepared to supply a copy of the report, if the hon. Member wants He may write to me.

An Hon. Member: It may be laid on the Table

Mr. Speaker: Now, which of these motions shall I put to vote first?

Shri Braj Raj Singh: I want to reply There is still some time left.

Mr. Speaker: Very well. This is a motion for consideration

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई और उसमें जो हमारे प्रधान मंत्री महोदय और खाद्य मंत्री महोदय ने कहा उससे मुझे बहुत अधिक निराशा हुई है। ऐसा लगता है कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से प्रकाशित किये जाते हैं उनका खुद वह उपयोग नहीं करना चाहती।

प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि यदि हम गन्ने की कीमत बढ़ाते हैं तो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बढ़ जायेगा ऐसा हमें खतरा है। लेकिन जो हमारे सामने आंकड़े हैं वे तो दूसरी बात साबित करते हैं। सन् १९४७ में गन्ने की कीमत दो रुपये मन थी, तो उस समय हिन्दुस्तान में गन्ना ४० लाख ४७ हजार एकड़ जमीन में उगाया गया। अब इस कीमत के अनुसार सन् १९४८-४९ में यह क्षेत्र बढ़ना चाहिए था लेकिन हुआ क्या, सन् १९४८-४९ में वह क्षेत्र ३७,५२,००० एकड़ ही रह गया यद्यपि उस साल गन्ने की कीमत एक रुपया दस आने मन थी। इसके मुताबिक भी गन्ने का क्षेत्र बढ़ना चाहिए था लेकिन १९४९-५० में वह ३९,३४,००० एकड़ ही रहा। तो यह बात कहना कि यदि हम गन्ने के दाम बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्र बढ़ता है, निराधार है। यह आंकड़ों से साबित नहीं होती। आप काल्पनिक बात कह सकते हैं।

खाद्य मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन चार साल में गन्ने का क्षेत्र ५० से ६० प्रतिशत तक बढ़ गया है। लेकिन खाद्य का मसला तो सारे हिन्दुस्तान का है। अगर दक्षिण में कहीं गन्ने का क्षेत्र कम हो जाता है और उत्तर प्रदेश में कहीं बढ़ जाता है तो हमें तो सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर देखना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करें तो यह साबित होता है कि जहां सन् १९५६-५७ में गन्ने का क्षेत्र ५०,१९,००० एकड़ था वहां सन् १९५७-५८ में घटकर ४७,८४,००० एकड़ रह गया। तो यह साबित नहीं होता कि गन्ने का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो यह कहा जाता है कि यदि गन्ने के दाम बढ़ाये गये तो किसान कैश क्राप की तरफ जायेगा यह बात बिल्कुल निराधार है। असल में गन्ने के उत्पादन में और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। उसमें सिंचाई का भी सवाल है। इसके अलावा किसान को अपने लिए गल्ला पैदा करना होता है, अपने पशुओं के लिए चारा पैदा करना होता है। तब कहीं जाकर वह गन्ना पैदा कर सकता है।

[श्री ब्रजराज सिंह]

प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि वह आज प्रातः विनोबा जी के साथ पदयात्रा कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है। विनोबा जी कहते हैं कि आज गन्ने और गल्ले की लड़ाई हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह की कोई लड़ाई नहीं हो रही है क्योंकि किसान ही दोनों चीज़ें पैदा करता है। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाये कि गन्ने की पैदावार ज्यादा होने लगे तो चीनी की पैदावार भी बढ़ेगी और चीनी पैदा करने का खर्चा कम होगा और उस सूरत में हम पचास हजार टन के बजाय बहुत ज्यादा चीनी बाहर भेज सकेंगे और इस तरह फारिन एक्सचेंज पैदा कर सकेंगे। यहां फारिन एक्सचेंज का सवाल बार बार आता है। पचास हजार टन चीनी से तो हमने केवल ढाई करोड़ फारिन एक्सचेंज ही पैदा किया है। पिछले दिनों जब हमारे देश में चीनी की कमी हो गयी तो हमने देखा कि हमको सत्तर करोड़ कीमती फारिन एक्सचेंज चीनी बाहर से मंगाने पर खर्च करना पड़ा। और आज जो स्थिति हो रही है अगर उसे सुधारने की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उसका यह नतीजा होने वाला है कि पिछली बार से इस बार ७५ हजार टन चीनी कम पैदा होगी और हो सकता है कि आगे और भी कम हो जाये। हमने लक्ष्य यह बनाया है कि दूसरी योजना के समाप्त होने तक हम अपने देश में २५ लाख टन चीनी पैदा करने लगें। तो पैदावार बढ़ने के बजाय घटेगी। इस का नतीजा क्या होगा? मुल्क की जो हालत है, उस में चीनी का खर्चा बढ़ रहा है। जब खर्चा बढ़ेगा तो फिर संकट पैदा हो सकता है और अगर संकट पैदा होगा, तो हो सकता है कि हमें इम्पोर्ट करना पड़े और जिस कीमती फ़ारेन एक्सचेंज की बार बार बात की जाती है और उस को बचाने और अधिक पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है वह खर्च करना पड़े। इस लिए मैं कह रहा था कि इस विषय पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। खाद्य मंत्री ने कह दिया कि १९५३-५४ में ३४,९८,००० एकड़ पैदावार थी और अब वह उस से बढ़ गई है। सब आंकड़ों में से इस तरह एक को चुन लेना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उस अवधि में अकाल की स्थिति रही हो या सिंचाई की सुविधा न उपलब्ध रही हो या पानी न बरसा हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का किसान खास तौर से गन्ने की तरफ़ जाना चाहता है, तो इस का कारण यह है कि गन्ने की फ़सल पर न तो सूखे का इतना असर पड़ता है और न अधिक वर्षा का। गन्ना अधिक वर्षा बर्दाश्त कर सकता है, जब कि दूसरी फ़सलें, जैसे ज्वार और बाजरा वगैरह बर्बाद हो सकती हैं। यह विचार कर के कि बाढ़ भी आयगी, तो भी गन्ना बना रहेगा, किसान गन्ना बोना चाहता है। उस के सामने यह बात नहीं होती है कि गन्ने का भाव कितना होता है। हम ने देखा है कि जब गन्ने की कीमत ज्यादा भी होती है, तो भी अगले साल उस ने कम गन्ना बोना शुरू कर दिया। मेरे पास इस आशय के भी आंकड़े हैं कि गन्ने की कीमत कम दी गई, लेकिन फिर भी गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि गन्ने की कीमत बढ़ने से गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ जाता हो।

यह कहा गया है कि किसान की दूसरी पैदावार में पैरिटी—संतुलन—कायम हो। मैं इस का स्वागत करता हूं, लेकिन याद रहे कि किसान की अपनी ही पैदावार का आपस में संतुलन कायम करने का ही सवाल नहीं है। किसान की पैदावार और फ़ैक्टरी-ओनर की पैदावार में संतुलन कायम करने की जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक इस दिशा में कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस समय हमारी नीति ग़लत है। इस वक्त किसान की पैदावार और फ़ैक्टरी की पैदावार में संतुलन नहीं पैदा किया जा रहा है। यह

उसी का नतीजा है कि जूट, धान और कपास की कीमतें कम हो गई हैं। अगर यह संतुलन कायम कर दिया जाये, तो अच्छा होगा।

खाद्य मंत्री की तरफ़ से कहा गया कि किसान खंडसारी के लिए जो गन्ना देते हैं, उन को उस का एक रुपया या एक पया एक आना ही मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो किसान की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बात है। यह तो सरकार का कर्तव्य है कि आप उन से भी ठीक दाम दिलायें। चीनी पर १३-३-० रुपये का जो टैक्स लगता है, गृह उद्योग होने के कारण खंडसारी पर उस को माफ़ किया हुआ है, लेकिन टैक्स माफ़ करने के बाद सरकार खंडसारी उद्योग पर भी १-५-० और १-७-० गन्ने का भाव लागू क्यों नहीं करती है? ऐसा करना सरकार का काम है, जो कि वह नहीं कर रही है। खंडसारी के जो छोटे छोटे मिल-मालिक हैं, वे १-१-० पर क्यों खरीद रहे हैं? उन को भी १-५-० पर ख ीदना चाहिए। जितनी कीमत इस वक्त गन्ने की ी जा रही है, उस को खंडसारी उद्योग पर भी लागू करना चाहिए। सरकार की ओर से उन को कहा जाना चाहिए कि आप को सुविधायें दी जा रही है, आप पर एक्साइज नहीं लगता है, ैक्स नहीं लगते हैं, इस लिए आप को भी १-५-० रुपया देना पड़ेगा।

जहां तक गुड़ का सवाल है, आज स्थिति यह है कि सत्तर फीसदी किसान कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इस लिए उन्हें खेती का काम ही करना पड़ेगा, चाहे उसमें उन्हें फ़ायदा हो या नुक़सान हो। स लिए स दलील में कोई वजन नहीं है कि चूंकि गुड़ बनाने में किसान को गन्ने की कम कीमत मिलती है, इस लिए मिल-मालिकों की ओर से उस को जो कीमत मिल रही है, वह भी ठीक है।

यह सवाल सरकार ने टैरिफ़ कमीशन के सुपुर्द किया हुआ है। इस बात की जांच कराई जानी चाहिए कि किसान का गन्ना पैदा करने का व्यय क्या है। १९५० में टैरिफ़ कमीशन ने गन्ने के उत्पादन-व्यय की जांच-पड़ताल करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी, क्योंकि उन के पास वक्त कम था और वह आंकड़े कट्ठे नहीं कर पाए। इस लिए अब टैरिफ़ कमीशन से गन्ने की पैदावार पर होने वाले व्यय की जांच-पड़ताल कराई जानी चाहिए और उसी के मुताबिक उस के भाव निर्धारित किए जाने चाहिए। चीनी का उत्पादन-व्यय तो हमें मालूम है। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रैस-मड, बगास और शीरे के बारे में मैंने जो सवाल उठाए थे, खाद्य मंत्री के पास उन का कोई जवाब नहीं है। वह कहते हैं कि ैरिफ़ कमीशन उन को देख लेगा। वह तो देख लेगा, लेकिन अब तक जो करोड़ों रुपए ले गए हैं, उन का क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि चीनी के उद्योग में जितना कैपिटल लगा हुआ है, उस से ज्यादा रुपया चीनी के मिल-मालिक प्रैस-मड, बगास और शीरे में पैदा कर रहे हैं। बात यह है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। जहां तक गन्ने की कीमत में पांच आने बढ़ाने का सवाल है, वह तो आप वर्तमान स्थिति में ही बढ़ा सकते हैं। इस से उद्योग पर संकट आने या टैक्स बढ़ाने की बात नहीं है। अगर फिर भी आप कीमत नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो दूस ी बात है।

18 hrs.

जहां तक पंच-वर्षीय ोजना और पैदावार बढ़ाने का सवाल है, जिस का ज़िक्र इस सम्बन्ध में किया जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि उस में हम आप के साथ हैं। हम पैदावार बढ़ाना चाहते है, हम प्रगतिशील संशोधित पंच-वर्षीय ोजना को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप की नीति लत है और वह नीति पंच-वर्षीय योजना को असफल कर सकती है और

[श्री ब्रजराज सिंह]

ये असफलतायें दिखाई दे रही हैं। आज खेती की पैदावार के दाम घट रहे हैं और कारखाने की पैदावार के दाम बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी भी वक्त है कि आप कोई जिद मत कीजिए और यह मत सोचिए कि चूंकि किसानों ने फ़ैक्टरियों में गन्ना देना बन्द कर दिया है, इस लिए यह आप की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर यह तिष्ठा का सवाल नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ज़रा सब सदस्यों को वोट देने की आज़ादी दीजिए, जिस तरह कि उत्तर प्रदेश असेम्बली में क्र मंत्री ने कहा कि हर एक सदस्य को आज़ादी है कि वह जिस तरह वोट देना चाहे, उस तरह वोट दे। आप भी वैसा ही कीजिए। मैं देखता हूं कि जिन दस सदस्यों ने एक सबस्टीच्यूट मोशन का नोटिस दिया है, उन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यह बात तो है नहीं कि हमारे सदस्य लापरवाह हैं वे सतर्क हैं लेकिन फिर भी उन के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या बात हो गई है? अब वक्त है कि आप इस प्रश्न की जांच-पड़ताल करा के फ़ौरन इस पर निर्णय कीजिए, वर्ना जिस आयोजन को आप सफल करना चाहते हैं. उस का एक बहुत बड़ा हिस्सा असफल हो जायगा।

Mr. Speaker: I will now put the amendment to the vote.

The question is:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"That this House, having considered the question regarding fixation of a higher price of sugarcane, as recommended by the U.P. and Bihar State Legislative Assemblies, takes note of the situation arising out of the strike by cane-growers and the closure of sugar mills in Uttar Pradesh as a result of Government's failure to increase the cane-rates, and directs that the price of sugarcane be raised to Rs. 1.70 nP per maund as recommended by the Joint Sugarcane Board for U.P. and Bihar."

The Lok Sabha divided: **Ayes—21; Noes—130.**

The motion was negatived.

18·06 hrs.

CLOSURE OF KULTI FURNACES*

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): Mr. Speaker, Sir, I wish to draw the attention of the House to the closing down of two blast furnaces in one of the biggest steel manufacturing concerns in India in the private sector—that is, Kulti Blast Furnace No. 4 and Kulti Blast Furnace No. 5 of the Indian Iron and Steel Company. On the 5th of October, 1958, Blast Furnace No. 4 was closed down and the production of pig iron to the tune of 10,000 tons was reduced.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): Sir, I find that there is a conference going on on that side of the House.

Mr. Speaker: They are only going away.

Shri T. B. Vittal Rao: They are not going. Sir; they are standing there.

Mr. Speaker: All right, the hon. Member may kindly resume her seat. Let all those who are not interested in the subject go away.

The hon. Member may continue now

Shrimati Renu Chakravartty: Sir, it is indicative of the lack of interest that this House takes regarding the question of steel and industrialisation that Government have allowed this company to close these blast furnaces Nos. 4 and 5, throwing out of employment in the first instance 710 workers and later on round about 600 workers. Production of almost 20,000 tons of pig iron was also stopped.

Now, the arguments which are put forward are fantastic on the face of it. We are told that we do not need any more pig iron and we are surplus in pig iron. Yet, we are still importing 4 lakh tons of steel. Therefore, Sir, it is an absolutely amazing

---

*Half-an-Hour Discussion.